(ई–संस्करण)

सीटू मजदूर

कोविद लॉकडाउन में

केन्द्र में सीटू स्थापना दिवस 2020 मनाया गया

बीटीआर भवन पर

15 तालकटोरा रोड़ पर

पी आर भवन पर

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों का आह्वान

3 जुलाई 2020 – देशव्यापी विरोध

– ''हम, मजदूरों/कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों को एक–दूसरे के साथ एकजुटता में रहने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है, सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतते हुए बीमारी का सामना करने के साथ ही एकजुटता एक दूसरे के साथ खड़े होकर यूनियन के तौर पर संगठित होने, सामूहिक सौदेबाजी के हमारे अधिकारों, सभ्य कामकाजी स्थिति, वेतन और भविष्य की प्रतिभूतियां आदि की रक्षा करें। इस सरकार ने मजदूरों और जनता की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के प्रति क्रूर असंवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। इसका समर्थन और सहयोग नहीं किया जा सकता है।

– ''हम सभी श्रम कानूनों के मुक्कमल निराकरण के माध्यम से मजदूरों पर दासता थोपने के डिजाइन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं; न ही हम विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से अपने सार्वजनिक उपक्रमों के थोक निजीकरण की सरकार की परियोजना के प्रति दर्शक बने रह सकते हैं; हम कारपोरेट–जमींदार लॉबी के पक्ष में कृषि अर्थव्यवस्था में आक्रामक संरचनात्मक परिवर्तनों को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो सारी जनता की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने के अलावा पहले से ही गहरे दुखों से ग्रस्त कृषक जनता को संकटग्रस्त बनाने वाला है। ट्रेड यूनियन आन्दोलन इस प्रक्रिया का समर्थन या सहयोग नहीं कर सकता है; लॉकडाउन स्थिति का लाभ उठाते हुए एक बेईमान तरीके से समाज पर थोपे जा रहे इन विनाशकारी जन–विरोधी, मजदूर–विरोध और राष्ट्र–विरोधी कदमों का हमें पूरी तरह से असहयोग, अवहेलना और एकजुट करना होगा। केंद्र सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को धता बता चुकी है।

– ''इसलिए, इस पृष्ठभूमि में हम केंद्रीय ट्रेड यूनियानों, स्वतंत्र फेडरेशनों एवं एसोसिएशनों ने 3 जुलाई 2020 को औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र और सेवा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और कर्मचारियों द्वारा, शारीरिक दूरी एवं अन्य सावधानियों को बनाए रखकर, राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम सरकार की जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ और हमारे अधिकारों और बुनियादी पात्रताओं की रक्षा के लिए लंबे समय तक असहयोग और अवज्ञा के संघर्ष को एकजुट करने के लिए तैयारी एवं प्रस्तावना है। राष्ट्रव्यापी विरोध से पहले, श्रम कानूनों और अन्य नीतिगत मुद्दों में किए जा रहे बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं।

– ''हम सरकार से माँग करते हैं कि केवल नियोक्ताओं और कॉरपोरेट संगठनों से मिलने के बजाय, 12 सूत्रीय माँगपत्र, श्रम एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों, रोजगार का नुकसान, वेतन, रोजगार की सुरक्षा, प्रवासी मजदूरों की उनके घर और जो लोग अपनी नौकरी को पुनः शुरु करने की इच्छा रखते हैं, के लिए वापसी यात्रा सहित उनके मुद्दों सहित बिंदुओं पर लंबे समय से लम्बित भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करें।

– हम 3 जुलाई 2020 को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मजदूर वर्ग और सभी सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों से आह्वान करते हैं कि देश के सभी कार्यस्थलों और केंद्रों में इसका अवलोकन करें। सरकार की मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ, जनता के अधिकारों की रक्षा और राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा और बचाव के लिए असहयोग और अवज्ञा के देशव्यापी एकजुट संघर्शों की तैयारी करें। राश्ट्रव्यापी आम हड़ताल सहित असहयोग और अवज्ञा के ठोस रूप का निर्णय राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के अवलोकन के बाद अगले चरण में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों एवं एसोसिएशनों के संयुक्त मंच द्वारा किया जाएगा।

इन्टक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी और विभिन्न क्षेत्रों की फेडरेशनों और एसोसिएशनों सहित

सम्पादकीय

संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करें; दुतरफा संवाद में सुधार करें

^;g vHkh g ;k fQj dHkh ugh*] ^ge ;g ekdk fQj dHkh ugh feyxk] bl tCr dj yk* & dkfon&19 y,dMkmu d ckj e d,jikjVl dh bl Vd dk 12 ebZ dk VkbEl v,Q bfM;k e m)`r fd;k x;kA ¼i"B 27 n[k½ mlh flyfly e uhfr vk;kx u : ij[kk r;kj dh vkj eknh ljdkj u o/kkfud Je vf/kdkjk dk de dju@lekIr dju d iSdst dh ?kk"k.kk dh(,QMhvkbZ vkj futhdj.k d jkLrk l ns'k d çk—frd lalk/kuk vkj lkoZtfud ifjlEifÙk;k dk ns'kh&fons'kh d,jikjVl }kjk vf/kxg.kA ;s lHkh vkRefuHkZj Hkkjr d uke ij okLrfod e ifjo`Ùk l turk dk /;ku gVku d fy, gk jgk gA —f"k {k= e cMk /kDdk nrs g, v/;kns'k d ek/;e l —f"k {k= e Hkkfe vkj —f"k mit dk fuxehdj.k dju d Á;kl g] tk lhekUr fdlkuk vkj [ksr etnjk l mudh vkthfodk Nhu yuk gh gA blds vfrfjä djkMk çokl h çokl h dkexkj g tk viuh vkthfodk d fy, Hkkfe vkj —f"k mit ij fuHkZj viu xkoks e ykV x; gA

bu lHkh u etnjk vkj fdlkuk d vkUnkyu d lkeu u, eqík vkj cMh pqukSfr;k dk i'k fd;k gA oxhZ; Vdjko r`t] fNik vkj [kyk gvk g] bl turk dk neu dju d fy,] dkfon&19 y,dMkmu] lÙkk:< dyhuk d gkFkk e ,d 'kfä'kkyh gfFk;kj d :i gA lhVh vkj dæh; VªM ;fu;uk] dkfon&19 y,dMkmu d rgr ubZ fLFkfr d pyr çn'kudkjh vkj gM+rkyh dk;Øek d lkFk oxhZ l?k"kk dk rt dju d fy, tehu r;kj dj jg g ftld chekjh d çlkj vkj 'kkld oxZ d fgr lk/ku d dkj.k vku oky fnuk e yEck le; rd cu jgu d fy, ck/; gA

bl i"BHkfe e lhVh lfpoe.My u vke le>nkjh vkj gM+rkyh dkjokgh dkjokbZ lfgr lkefgd dkjokbZ dk fu"d"kZ fudkyk tk orZeku fLFkfr e lqlxr g(vkj dæh; VªM ;fu;uk dh cBd e orZeku fLFkfr vkj gM+rky lfgr fujrj vkUnkyu d ckj e fu"d"kZ fudkyk x;kA

y,dMkmu d rgr dbZ ck/kkvk d ckotn] vkbZVh rduhd dk mi;kx djr g,] lhVh u 0;kid vkj Rofjr nkuk rjhdk l lpkj vkj çn'kudkjh dk;Øek e 0;kid oxkZ dh Hkkxhnkjh dk vuHko fd;kA

blfy,] lHkh Lrjk ij lhVh bdkb;k] ;fu;uk vkj QMj"kuk dh defV;k d lxBukRed uVodZ d dkedkt dk etcr dju d fy, lHkh vko';d gk tkr g vkj thfor lEidZ d pluyk dk [kkyu@l/kkju vkj vkbZVh rduhd d lHkh :ik dk mi;kx djr g, yfdu lxBukRed <kp d vUnj gh nrjQk lpkj djA

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

जून 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन~~,
एम. एल. मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

3 tqykbZ 2020 ns'k0;kih fojks/k	2
ubZ fLFkfr] gekjh j.kuhfr vkj rkRdkfyd dk;Z	4
fu;kDrkvk o ljdkj dh uhfr;k f[kykQ yMk &gM+rky	10
3 tqykbZ d jk"V0;kih fojks/k dh i"BHkfe	13
iqthokn dk etcr dju dh Hkkt ik&vkj ,l ,l ljdkj dh efge(vkj etnj oxZ dk vkUnkyu &t-,l- etenkj	14
dkfon ykdMkmu jkT; defV;k }kjk jkgr	20
m|kx ,o {k=	27
dVkrh d ckn i.k i'ku cgky(vfrfjä dVkrh dh okil h	28

सीटू

नई स्थिति, हमारी रणनीति और तात्कालिक कार्य

कोविद–19 महामारी और उसके बाद हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है। 15 मई 2020 को आयोजित सीटू सचिवमंडल की ऑनलाइन बैठक में सीटू केंद्र द्वारा तैयार किए गए एक मसौदा नोट के आधार पर इस पर चर्चा की गई। वर्तमान स्थिति में मजदूर वर्ग के समक्ष चुनौतियों के बारे में और प्रभावी ढंग से उनका मुकाबला करने की हमारी रणनीति के बारे में एकमत से राय बनी है।

यह नोट वर्तमान स्थिति, हमारी रणनीति और इस राय के आधार पर तात्कालिक कार्यों के बारे में सीटू सचिवमंडल की समझ को रेखांकित करता है।

नई स्थिति की प्रमुख विशेषताऐं

- **रोजगार का नुकसानः** सीएमआईई ने अनुमान लगाया कि इस अवधि के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित 14 करोड़ नौकरियां चली गईं। उद्योग और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हुए। अपने मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए, लाखों मजदूरों का छोटे बच्चों सहित अपने परिवारों के साथ हजारों मील पैदल चलते जाना, अपना सामान सिर और कंधों पर ले जाने, भूखे रहने और उनमें से सैकड़ों का दुर्घटना या थकावट के कारण मौत का शिकार हो जाने की छवियां और उन पर गहराया संकट जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मजदूरों की छंटनी न करने और वेतन की कटौती न करने और उन्हें किराए के मकानों से न निकालने के सरकार के निर्देश/सलाह केवल कागजों पर ही बने रहे।
- **सभी क्षेत्रों के मजदूरों पर संकटः** ये मजदूर ही हैं जो हमारे देश के धन का उत्पादन करने; हमारे देश को सेवाएं प्रदान करने में अपरिहार्य हैं; जो हमारे देश की जीडीपी बनाते हैं। कामगार, जो गरिमा का जीवन जीत आ रहे थे, गर्व से कड़ी मेहनत के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे, अचानक खुद को बेघर, भूखा और दया पर निर्भर होकर यह खोजने के लिए मजबूर हुए कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा। यह न केवल प्रवासी मजदूरों की बल्कि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश मजदूरों की दुर्दशा हुई है। लाखों प्रवासी मजदूर अपने परिवार के सदस्यों की संगत में सांत्वना खोजने के लिए पैदल या साइकिल चलाकर अपने घरों में वापस जा रहे थे, लेकिन वे भविष्य, अपने कामकाज और जीवन के बारे में निश्चित नहीं हैं; कृषि संकट लगातार बना हुआ है, कोई गारंटी नहीं है कि वे इसके भरोसे पर खुद को बनाए रखने में सक्षम होंगे। उन्हें न्याय के संस्थानों सहित शासन के सभी तबकों द्वारा उनके सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो देश को ऐसी दुर्दशा में ले जाने के लिए शासन कर रहे हैं।
- **मजदूरों के कानूनी संरक्षण को कुचलने की जल्दबाजीः** लॉकडाउन की घोषणा के बाद के घटनाक्रम साफतौर पर, जब देश के मजदूर और मेहनतकश जनता गम्भीर संकट में हैं, तब अपने मजदूर–विरोधी जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नवउदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, मोदीनीत भाजपा सरकार द्वारा लॉकडाउन का उपयोग करने के सुनियोजित और शातिर निर्णय का संकेत देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, त्रिपुरा में भाजपा सरकारों द्वारा तेजी से जारी किया है या घोषित की गई अधिसूचनाओं और अध्यादेशों के साथ–साथ कांग्रेस के नेतृत्व में राजस्थान, पंजाब और बीजेडी के नेतृत्व वाले ओडिशा आदि पीएमओ के निर्देशन या सहमति के बिना ही स्पष्ट नहीं हो सकते थे। मोदी की भाजपा सरकार के पिछले शासनकाल में भी यही हुआ था। इसके विपरीत, केवल केरल में एलडीएफ सरकार थी जिसने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वह श्रम कानूनों में कोई भी मजदूर विरोधी संशोधन करने नहीं जा रही है।
- **शासक वर्ग की पार्टियों का रवैयाः** यह केवल सरकारों का ही दृष्टिकोण नहीं है; लॉकडाउन भी मजदूरों के प्रति राजनीतिक दलों के नजरिए में अंतर को ध्यान में रखते हुए लाया गया। किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने भाजपानीत सरकार के मजदूर

विरोधी नीति निर्देश का विरोध नहीं किया है। यह केवल वामपंथी पार्टियाँ थीं जो मजबूत तरीके से इनका विरोध कर रही थीं और मजदूरों के संघर्षों का समर्थन कर रही थीं। यह वेज बिल पर कोड के मामले में भी दिखाई दिया था, जब राज्यसभा में केवल वामपंथी और अन्य तीन विपक्षी दलों के केवल तीन सांसदों ने सीटू के राष्ट्रीय सचिव और सदस्य राज्यसभा के सदस्य एलाराम करीम द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के लिए मतदान किया था।

- **अधिनायकवादः** केंद्र में भाजपा सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग कर रही है, जो उसने कोविद महामारी से निपटने के लिए, राज्य सरकारों की अवहेलना करने के अधिकार के साथ खुद को सशक्त बनाने, नागरिक स्वतंत्रता को दबाने, असंतोष को कुचलने, सभी नागरिकों को निगरानी में रखने के लिए और यहाँ तक कि सेंसरशिप भी थोपने के लिए इस्तेमाल किया है; शासक वर्ग अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं और लॉकडाउन की आड़ में अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं।

- **भ्रामक पैकेजः** तथाकथित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा के पीछे का धोखा वित्त मंत्री द्वारा पैकेज की पाँच चरणों में घोषणा से स्पष्ट हो गया। भाजपा के असली इरादे – अपने देशी–विदेशी कॉरपोरेट भूस्वामी आकाओं की सेवा करने के तौर पर नंगे रूप में सामने आए हैं। लॉकडाउन, हालांकि आवश्यक था, बल्कि उससे समय हासिल करके, जीवन की रक्षा के वास्ते आवश्यक परीक्षण, संगरोध, अलगाव की सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य सुविधाओं से लैस करते हुए और देश के समक्ष स्वास्थ्य संकट की पूर्ति के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। इन सभी को अत्यधिक उपेक्षित किया गया; भारत परीक्षण के मामले में सबसे कम अनुपात वाले देशों में शामिल है। लेकिन इसका उपयोग भाजपा सरकार के नवउदारवादी एजेंडे के माध्यम के लिए किया गया, जो कि शासक वर्ग मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के कड़े प्रतिरोध के कारण पिछले तीन दशकों के दौरान पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए थे।

- **नवउदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन का उपयोग किया गयाः** जैसा कि हमने बार–बार नोट किया है, सरकार के ये कदम शासक वर्गों द्वारा आर्थिक संकट के पूरे बोझ को मजदूर वर्ग के कंधों पर फेंककर अपने मुनाफों की रक्षा के लिए किए जा रहे हताश प्रयासों को दर्शाते हैं। वे ऐसा महामारी से पहले भी करने की कोशिश कर रहे थे; अब वे लॉकडाउन और अलगाव की स्थिति का उपयोग अपने एजेंडे को और आक्रामक तरीके से लागू करने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि उनके कुछ विचारकों ने कहा, यह उनके लिए एक 'अभी या कभी नहीं' की स्थिति है। उन्हें 'इसे जब्त करने' के लिए कहा गया है और उन्होंने खुद को सशक्त बनाने के लिए मजदूर वर्ग के संगठित आन्दोलन के एकजुट संघर्षों के एकमात्र हथियार से निरस्त्र करके इसे जब्त कर लिया, और इसे गतिशीलता में धकेल दिया। मजदूरों के संकट को उनके द्वारा एक अच्छे अवसर के रूप में देखा गया है। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था की क्रूरता और बर्बरता अपनी सारी कुरूपता के नंगेपन के साथ जनता के सामने आयी है।

- **आत्मानिर्भर भारत (?):** ''आत्मार्भिर भारत'' के भव्य लेकिन भ्रामक नाम के तहत प्रोत्साहन एवं राहत पैकेज के नाम पर सरकार द्वारा पांच दिन की घोषणा उनकी हताशा का स्पष्ट संकेत है। पूरी परियोजना और कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, राष्ट्रीय हित को नीलामी में रखने का एक व्यापक कार्यक्रम है। यह पूँजीवादी वर्ग के इशारे पर राष्ट्र पर संरचित हमला है, जिसने विरोध, बहस और असंतोष व्यक्त करने की लोकतांत्रिक जगह को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया है। कुल मिलाकर भूमि, श्रम, तरलता और कानून (जैसा कि पीएम ने अपने भाषण में कहा है) पर केंद्रित 20 लाख करोड़ रुपये का तथाकथित पैकेज, शोषणकारी वर्गों को स्थायी रूप से सशक्त बनाने, जनता को गरिमा के साथ जीवित रहने से वंचित करने और बुनियादी मानव अधिकारों का गला घोटने की एक परियोजना है। जो मेहनतकश जनता पर गुलामी थोपने के व्यापक डिजाइन को दर्शाता है, संपूर्ण सत्तावादी शासन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और ये सभी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के मुनाफे के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को बड़े पैमाने पर मिटा रहे हैं। यह विदेशी एजेंसियों सहित बड़े–भूस्वामियों और कॉरपोरेटों के पक्ष में भूमि प्रबंधन, कृषि उत्पादों की खरीद एवं व्यापार में पूर्ण प्रतिमान के साथ झुकाव परिलक्षित होता है; कार्यस्थलों पर श्रम अधिकारों के पूर्ण उन्मूलन; बहुमुखी रास्तों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं

के पूर्ण–निजीकरण में, जिनमें रक्षा, खनिज, ईंधन, फार्मास्युटिकल और सार्वजनिक उपयोगिताऐं शामिल हैं; ऋण वापसी में चूक को स्थायी रूप से वैध बनाना और सम्बन्धित कॉरपोरेट्स/बड़े–व्यवसायों द्वारा सम्बन्धित कानूनों का पालन न करना इत्यादि।

- **पूँजीवादी व्यवस्था का पर्दाफासः** पूँजीवादी व्यवस्था की इस क्रूरता, बर्बरता, कुरूपता और अन्याय को हमें आज जनता के समक्ष उजागर करना है। करोड़ों मजदूरों में से अधिकांश अपनी नौकरी और आय खो चुके हैं और अपने घरों की ओर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, अपने परिवारों के पास पहुँचने को बेताब हैं, बुर्जुआ राजनीतिक दलों पर विश्वास खो चुके हैं; वे उन पर भरोसा नहीं करते; वे उनसे किसी भी समर्थन की उम्मीद नहीं करते हैं। यह केवल केरल में एलडीएफ सरकार है, जिस पर आम जनता का भरोसा है। हाँ, शासक वर्गों को जनता में अलगाव और हताशा अपनी जन–विरोधी एवं मजदूर–विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का 'अवसर' के रूप में महसूस हो रहा है। लेकिन, हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह स्थिति हमें शासक वर्गों को बेनकाब करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रही है। शासक वर्ग आज मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। पाँच किस्तों में घोषित सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के 'पैकेज' की सराहना सिर्फ चापलूस कॉरपोरेट मीडिया करना जारी रख सकता है, लेकिन आम जनता अपना विश्वास खो रही है। यही समय है कि हम जनता को पूँजीवादी व्यवस्था की अंतर्निहित बर्बरता और उसके विकल्प के बारे में समझाऐं। इसे पूरे विश्वास के साथ चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। हमें अपनी सभी बौद्धिक, वैचारिक और संगठनात्मक ताकत को नवउदारवादी शासन और पूँजीवादी व्यवस्था को उजागर करने की दिशा में जुटाना होगा।
- **विभाजनकारी ताकतों का ताना–बानाः** बीजेपी सहित आरएसएस और उसके विवादास्पद सांप्रदायिक संगठन, कोविद को भी सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस चुनौती का सामना करने के लिए जनता की एकता की आवश्यकता थी। लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर विभाजित करने की सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों की क्षमता को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे एकता को बाधित करने और अपने कॉरपोरेट आकाओं की सेवा के लिए एकजुट संघर्ष को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनके कार्यकलापों पर सतर्कता बरतते हुए, मेहनतकश जनता और सभी वर्गों को एकजुट करते हुए और एकजुट संघर्षों को मजबूत करते हुए हमें सर्वोच्च प्राथमिकता से उठाना होगा।

अनुभव

लगभग दो महीनों के लॉकडाउन के दौरान पूरे सीटू ने बहुत समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। इसने हमारे संगठन, हमारी कमेटियों, कैडरों और कार्यकर्ताओं के समग्र पहलुओं को पूरी तरह से सामने लाया है।

इनमें से कुछ हैं

- **एकजुटता** – मजदूरों और मेहनतकश जनता के बीच एकजुटता की भावना उभारने की सक्षमता।
- **राहत** – व्यथित मजदूरों को राहत प्रदान करने में पहल – मजदूरों की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना, आश्रय, परिवहन, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं आदि की व्यवस्था सहित सहायता प्रदान करना – ज्यादातर उनकी नियमित क्षमता से परे है। राहत कार्य में कई राज्यों में भी सभी बिरादराना जन संगठनों की भागीदारी देखी गई है।
- **कार्रवाहियाँ–** संभावना और उस संभावना का उपयोग करने की क्षमता – मजदूरों के बीच असंतोष को बाहर निकालने और मजदूरों के मूड से मेल खाने वाली कार्रवाहियों के कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए; हमारी संगठनात्मक संरचना के बाहर परिवार के सदस्यों और आम मजदूरों को शामिल करना; काम के स्थानों से परे रिहायशी इलाकों तक हमारे नारे और झंडे लेकर जाना। यह 21 अप्रैल, मई दिवस और 14 मई को देश भर में मनाया गया, जिसने कई स्थानों पर अन्य जन संगठनों की भागीदारी को भी खींचा है। इन कार्यक्रमों में भी समान अनुभव देखा गया है, विभिन्न राज्य कमेटियों और फेडरेशनों/यूनियनों ने अपनी पहल पर इसे आयोजित किया है। इसने जनता के बीच 'पहुंच से बाहर' तक पहुँचने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसे और अधिक विस्तार देने के लिए इसको पूरी तरह से और सचेत रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। अगले चरण में

नीतियों के साथ मुद्दों को जोड़ना है; नीतियों को नियंत्रित करने वाली राजनीति को बेनकाब करने का काम भी जानबूझकर करना चाहिए।

- **सोषल मीडिया** – इस अवधि के दौरान हमारे सभी संचार और सूचना का प्रसार सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर किया गया – राष्ट्रीय, राज्य, उद्योग स्तर, यूनियन, जिला आदि। इनसे हमारे फैसलों को कम समय में हमारे संगठन के न्यूनतम स्तर तक ले जाने में और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिली है। अपने कामकाज पर उचित दिशानिर्देशों के साथ इनको मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **निम्नतम स्तर के कैडरों का समावेषन** – हमारे कैडरों, कार्यकर्ताओं और आम मजदूरों के बीच यूनियन की गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी की पहल, कल्पना और रचनात्मकता और उनकी भावना को उजागर किया गया। यह हमारे विभिन्न आह्वानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। वे नेताओं की उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे क्योंकि यह संभव ही नहीं था। इसे और व्यापक व मजबूत करने की जरूरत है।
- **जनवादी कामकाज का प्रयास** – लॉकडाउन के बावजूद, कई राज्यों में राज्य केंद्र, पदाधिकारियों, कमेटी स्तरों पर बैठकों के माध्यम से कमोवेश नियमित परामर्श/चर्चा की गई थी।
- **रिपोर्ट भेजना** – गतिविधियों की रिपोर्ट, मुख्य रूप से समूहों में फोटो के माध्यम से कमोवेश तेजी से भेजी गई थी, हालांकि कुछ राज्यों की ओर से मात्रात्मक रिपोर्ट भेजने में कमियां अभी भी बनी हुई हैं; इन पर काबू पाने की जरूरत है।
- **संगठन** – कई राज्यों में, हमारी कमेटियों ने रिकॉर्ड तैयार किए हैं और प्रवासी मजदूरों के साथ संपर्क में रखने के लिए और उन्हें हमारे संगठनात्मक ढ़ाँचे में लाने के प्रारंभिक प्रयास किए हैं; इन्हें सीटू केंद्र के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- **शिक्षा** – कुछ राज्यों ने वर्तमान विषयों पर और कुछ बुनियादी राजनीतिक और वैचारिक विषयों पर भी कैडरों की ऑन लाइन कक्षाओं के संचालन के लिए भी इस अवधि का उपयोग किया है।

सारांश

महामारी और लॉकडाउन केन्द्र बिन्दु में लाया

- **वर्तमान भाजपा सरकार का वर्ग चरित्र** – सम्पूर्ण कोरोना महामारी और आर्थिक मन्दी की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान, सत्ताधारी दल बड़े पूँजीपतियों के वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के निदेर्शों पर बेशर्मी से कॉरपोरेटस् के मुनाफे के लिए जनता के कल्याण को गिरवी रखते हैं। वे अधिक अधिनायकवादी बने हैं और समाज को ध्रुवीकरण करने और एकता को छिन्न–भिन्न करने के लिए जहरीली सांप्रदायिक कारगुजारियाँ कर रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर पूँजीवादी संकट, जिसके लिए उनके पास मौजूदा पूँजीवादी ढाँचे के भीतर कोई समाधान नहीं है, के बीच खुद को बनाए रखने की शासक वर्गों की रणनीति के रूप में व्यापक रूप से समझने की जरूरत है।
- **षासक वर्गों का चरित्र** – अर्थव्यवस्था के रणनीतिक और मुख्य क्षेत्रों, यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ–साथ मुकम्मल स्वास्थ्य देखभाल पर शासक वर्ग के आक्रामक निजीकरण की निरंतर परियोजना का वामपंथ को छोड़कर लगभग पूरे राजनीतिक समुदाय से किसी भी गंभीर विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए, पूँजीवादी वर्ग के पक्ष में श्रम अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से श्रम कानून व्यवस्था के तथाकथित सुधारों की परियोजना को वामपंथियों से ही विरोध हासिल हो रहा है और शेष राजनीतिक समुदाय तटस्थ और उदासीन बना हुआ है, जो इस मेहनतकशों पर गुलामी थोपने के विक्षिप्त डिजाइन का समर्थन करता है। इसीलिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से काम के घंटों को 8 से 12 घंटे तक बढ़ाने जैसे कदमों की निन्दा वाम दलों के अलावा अन्य किसी राजनीतिक समुदाय ने नहीं की है।
- **पूँजीवादी व्यवस्था का असली चेहरा** – महामारी और लॉकडाउन पूँजीवादी व्यवस्था के सबसे क्रूर और अमानवीय चरित्र को सामने लाया है; इसके नियंत्रण में विशाल वैज्ञानिक, तकनीकी और मानव संसाधनों के होने के बावजूद समाज का समग्र रूप से विकास में यह विफल है। यह षासन में उनके या उनके राजनीतिक एजेंटों की विफलता नहीं है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई करोड़ प्रवासी मजदूर जो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों उद्योगों से हैं, हमारी उत्पादक श्रमशक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा हैं, वो लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे क्रूर दमन और पीड़ाओं के अधीन रहे उन्होने

छंटनी, वेतन में कटौती, परिवार के सदस्यों के साथ निवासों से बेदखली आदि के माध्यम से सब कुछ खो दिया। यह सभी उसी पूँजीपति वर्ग द्वारा छीन लिया गया; लेकिन जब उनके गृह राज्य में वापसी का अवसर खुला, तो यही पूँजीपति वर्ग और उनके राजनीतिक संचालक हैं जो बेशर्मी से ट्रेनों को रद्द करके उनकी गृह राज्यों को वापसी को अवरुद्ध करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। पूरा पूँजीपति वर्ग कमोबेश इस अमानवीय के साथ–साथ बर्बर निष्कासन प्रक्रिया के पीछे खड़ा है, इसलिए पूरा पूँजीपति वर्ग अपनी राजनीति से बेपरवाह है।

पूँजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली के बीच विरोधाभास

केंद्र और कई राज्यों में भाजपा और अन्य बुर्जुआ जमींदार सरकारों, और केरल में एलडीएफ सरकार, ने अपने दृष्टिकोण में महामारी और लॉकडाउन से निपटने के लिए नीतियां बनाईं। व्यवस्था द्वारा और कई अन्य कठिनाइयों द्वारा लगायी गयी गंभीर सीमा के बावजूद, एलडीएफ सरकार मेहनतकश जनता के समर्थन में मजबूती से खड़ी थी और खुले तौर पर यह घोषणा की थी कि वह नियोक्ताओं के पक्ष में श्रम कानूनों को बदलने नहीं जा रही है।

यह पूरी स्थिति हमारे 16वें सम्मेलन की समझ को स्पश्ट करती है। नई स्थिति यह माँग करती है कि मजदूर वर्ग के आन्दोलन को एकजुट संघर्ष को अवज्ञा और प्रतिरोध के स्तर तक ले जाना होगा। मजदूर वर्ग के अनुसरण के लिए यही रास्ता सही है।

लॉकडाउन अवधि के दौरान हमारी गतिविधियों का समृद्ध अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि हम एकजुटता से ऐसा कर सकते हैं। यह नवउदारवादी शासन के आगमन के बाद से हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है, जब सीटू ने मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को एकजुट करने की पहल की। यह एकजुट संघर्षों के माध्यम से ही भारत का मजदूर वर्ग अब तक हमारे देश में श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन की प्रक्रिया को रोकने में सक्षम रहा है, जैसा कि दुनिया के कई अन्य देशों में हुआ है। यहाँ तक कि केंद्र में मोदीनीत भाजपा सरकार, जिसने 2014 में सत्तासीन होते ही कोडिंग प्रक्रिया शुरू की थी, मजदूर वर्ग आन्दोलन के एकजुट प्रतिरोध के कारण केवल एक कोड को पारित कराने के साथ समाहित किया जा सका है। अपने सभी प्रयासों के बावजूद, अब तक, यह सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम नहीं हुई है।

मोदीनीत भाजपा सरकार को कोविद और लॉकडाउन को लाभ उठाकर अतिसाहसिक कदमों के माध्यम से अपने नवउदारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति मजदूर वर्ग नहीं देगा।

भाजपा सरकार और शासक वर्ग को याद दिलाया जाता है कि हम मजदूर हैं। हम ही वो हैं जो राष्ट्र के लिए धन का उत्पादन करते हैं। वो हम ही हैं जो राष्ट्र को सजाते और संभालते हैं। हम राष्ट्र को देशी या विदेशी, निजी हितों को बेचने की अनुमति नहीं देंगे।

हम बीजेपी सरकार और शासक वर्ग को चेतावनी दे रहे हैं। मजदूरों के तौर पर, हम राष्ट्र के लिए अपने योगदान की अपनी गरिमा और गौरव का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित करने के वास्ते पूँजीवादी–जमींदार गुट के स्थायी सषक्तिकरण की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने एकजुट संघर्षों के माध्यम से अपनी गरिमा और हकदारी जीती है। हम एकजुट संघर्शों के माध्यम से अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अनेक हैं; आप कुछ एक ही हैं।

1991 में जब कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्र पर नवउदारवादी एजेंडा थोप दिया गया था, तो अब भी, भाजपा सरकार इसके वास्ते लॉकडाउन का उपयोग करना चाहती है, पहले भी सीटू ने पहल की थी और पूरे मजदूर वर्ग के आन्दोलन को संघर्ष में एकजुट करने के लिए निरंतरता के साथ पहल कर रहा है। सीटू को उपर्युक्त समझ के आधार पर मेहनतकश वर्ग को जमीनी स्तर तक समग्र रूप से एकजुट करने के लिए, अवज्ञा करने और प्रतिविरोध करने के लिए अपने प्रयास और पहल को दोगुना करना होगा। हमें मजदूरों–किसानों की संयुक्त गतिविधियों और संघर्ष के लिए भी अपनी पहल जारी रखनी होगी।

इस समझ को हमारे संगठन के सभी स्तरों तक जमीनी स्तर के सदस्यों और सीटू के कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना होगा ताकि बहुत बड़ी पहल की जा सके। सभी राज्य कमेटियों को इसकी योजना बनाकर और इसे सुनिश्चित करना होगा।

तत्काल कार्रवाई कार्यक्रम

यह इस समझ के साथ है कि सीटू सचिवमडल ने निम्नलिखित तत्काल कार्रवाई का कार्यक्रम तय किए:

1. इस नोट का स्थानीय भाषा में अनुवाद करें और इसे हमारे कैडरों, कार्यकर्ताओं और सदस्यों के निम्नतम स्तर पर ले जाएं।
2. प्रवासी मजदूरों के बीच हमारे सम्पर्कों का डेटा बेस तैयार करने और उन्हें केंद्र के साथ साझा करने के लिए हमारी पहल, विभिन्न गतिविधियों और उनके साथ बातचीत के माध्यम से संपर्क को जीवित रखें और अंत में उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रों/कार्यस्थलों में हमारी संगठनात्मक ढ़ाँचे में लाना है। जैसा कि हमारे पिछले परिपत्रों के माध्यम से बताया गया है कि सब कुछ पूरी गम्भीरता के साथ जारी रहना चाहिए।
3. भाजपा सरकार द्वारा घोषित मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी कदमों के प्रति हमारे विरोध को मजदूरों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी के साथ और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए।
4. यह 22 मई 2020 को संयुक्त ट्रेड़ यूनियन की विरोध कार्रवाई के साथ शुरू होना चाहिए।
5. जिस तरह से जनता पर हमले हो रहे हैं, साथ ही सामान्य गतिविधियों पर प्रतिबन्धों को लम्बे समय तक जारी रखने के मद्देनजर, हमें वर्तमान स्थिति के अन्दर ही इन हमलों का सामना करने के नए तरीके खोजने होंगे। कड़े प्रतिरोध के लिए जमीन तैयार करने के लिए, सभाओं आदि पर लगाए गए अवरोधों को दूर किया जाना चाहिए। हमें स्पष्ट वर्गीय दृष्टिकोण के साथ अधिक दृश्यमान और प्रत्यक्ष कार्रवाहियों के साथ बाधाओं को दूर करना होगा।
6. व्यक्तिगत कार्यस्थलों, औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक समूहों में मजदूरों द्वारा हड़ताल की जाने की संभावना के बारे में, जहाँ कहीं भी हो खुले या राज्य स्तर पर – जून के महीने में जाँच की जानी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, हड़ताल की कार्रवाई को संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से मान लिया जाना चाहिए।
7. औद्योगिक फेडरेशनों द्वारा इस तरह के हड़ताली कार्रवाहियों की संभावना भी तलाश की जानी चाहिए।
8. 30 मई, सीटू का स्थापना दिवस इस तरह से मनाया जाना चाहिए –
   (a) शहर/गाँव के चौक, सड़क के कोने, अलग–अलग घरों में, परिवार के सदस्यों के साथ, जहाँ भी वे कार्य कर रहे हैं, सभी यूनियन कार्यालयों, सभी कार्यस्थलों पर सीटू के झंडे फहराना;
   (b) जहाँ भी संभव हो, शारीरिक दूरी (यानी हाथ पकड़े बिना) के साथ मानव श्रृंखला का गठन किया जाना चाहिए – मिसाल के तौर पर किसी कस्बे/शहर/गाँव आदि में कई स्थानों पर; हमें 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों, जो भी इस तरह की मानव श्रृंखलाओं में माँगों का समर्थन करते हैं, को जुटाने का लक्ष्य रखना चाहिए;
   (c) मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों द्वारा नारों के साथ प्लेकार्ड प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए; जल्द ही मुख्य नारे भेज दिए जाऐंगे।
9. ऑन लाइन क्लासेस – सभी राज्य कमेटियों को, 26 मई से चार दिनों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रयास और संचालन करना चाहिए (वह दिन जब 1970 में हमारा स्थापना सम्मेलन शुरू हुआ था) निम्नलिखित विषयों पर –
   (a) 50 साल की सीटू की एकता एवं संघर्ष के लिए संघर्ष;
   (b) वर्तमान नई स्थिति, चुनौतियाँ और हमारे कार्य;
   (c) 50 लाख करोड़ रुपये का पैकेज एक धोखा
   (d) श्रम कानूनों का हालिया निरस्त्रीकरण और इसके निहितार्थ।

लॉकडाउन में उजागर हुई प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा; नियोक्ताओं व सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ो

के. हेमलता

वे जो ब्राण्ड बनाते हैं वह हर कहीं है। वे कंपनियों जो इन ब्राण्डों को बेचती हैं, हर जगह दिखाई पड़ती हैं। लेकिन, जिनका श्रम इन ब्राण्डों का निर्माण करता है और इन कंपनियों को अमीर बनाता है वे अदृश्य रहते हैं, अपनी जरुरतों और लगातार कड़ी मेहनत मजदूरी में बंधे। ऐसे कि जैसे बाहर की दुनिया के लिए उनका अस्तित्व ही न हो। लेकिन जब वे अपने दड़बेनुमा कमरों, गंदी गलियों–कूचों से छोटे–छोटे समूहों में निकले जो जल्द ही सैकड़ों, हजारों की तादात में बदल गये और सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्होंने अपने गांवों की ओर चलना शुरु किया तो दुनिया भौंचक्की रह गयी। इन्हें लामबंद नहीं किया गया था। कोई अभियान नहीं चला था। उन्होंने अपनी माँगों को उठाने या सरकार का कोई प्रतिवेदन देने के लिए किसी 'लॉग मार्च' की योजना नहीं बनाई थी।

अप्रैल के अंत से प्रवासी मजदूरों ने सैकड़ों व हजारों किलोमीटर पैदल चलना शुरु किया था। वे तपते सूरज के नीचे अपने मामूली सामानों को सिर पर उठाये बच्चों व महिलाओं के साथ चले। गर्भवती महिलायें, छोटे बच्चे भूखे–प्यासे तंगहाल सुबह से शाम तक चले। कितने रास्ते में ही मर गये, थकान व दुर्घटनाओं के कारण रेल की पटरियों पर, रेलवे प्लेटफार्मों पर, रेलों के भीतर और सड़कों पर। कितनों को बेईज्जती सहनी पड़ी; प्रशासन ने उन पर कीटनाशकों का छिड़काव किया; पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करते हुए लाठियां बरसाई यहाँ तक अपने गांवों तक पहुँचने के बावजूद, कोरोना के भय के कारण, उन्हें उनके घरों तक नहीं पहुँचने दिया गया; उन्हें गाँव के बाहर ही पेड़ों के नीचे कई–कई दिनों तक रहना पड़ा। ऐसे हालातों में सरकारों की ओर से किसी तरह की कोई मद्द नहीं की गई।

इलैक्ट्रानिक मीडिया पर जो तस्वीरें आयीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जो समाचार पत्रों में छपीं वे हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। थके मजदूरों का रेल की पटरी पर तेज दौड़ती रेल द्वारा रौंद दिया जाना, एक अबोध बालक द्वारा रेलवे प्लेटफार्म पर मृत पड़ी अपनी माँ को जगाने की कोशिश करना, 15 वर्ष की एक बालिका द्वारा अपने बीमार पिता को पीछे बिठाकर 1,000 किलोमीटर तक साईकिल चलाना, घर लौटते समय बीमार हो गये और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गये अपने दोस्त को अपनी बाहों में संभालता वह किशोर और ऐसी ही न जाने कितनी तस्वीरें क्या ये कभी भी हमारे अन्तरमन को झकजोरना देना बंद करेंगी?

ध्यान दें कि वे मजदूर है जो चंद दिन पहले उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा थे; वे साजो–समान पैदा कर रहे थे जो हम सभी प्रतिदिन उपयोग करते हैं, छोटे–बड़ा उद्योग जिसका अपने कारखानों में प्रयोग करता है। यही वे मजदूर है जो हमारे देश की दौलत पैदा करते हैं। उन्हें सम्मान व गर्व था कि वे देश की दौलत पैदा कर रहे थे; कि वे किसी और की मेहनत पर पलने वाले परजीवी नहीं। वे ईमानदारी व कड़ी मेहनत से अपने जीविका कमाते हैं।

उनकी दुर्दशा के लिए केवल कोविड महामारी या लाकडाऊन को जिम्मेदार ठहराना, धोखे में रहना होगा। उनके हालात हमेशा ही बदहाल थे। लॉकडाऊन ने उनकी बदहाली को और गंभीर बना दिया है; इसने उन्हें कगार पर धकेला दिया है। लॉकडाऊन से पहले ही आर्थिक स्थिति में आयी गिरावट ने उनके काम और जीवनयापन के हालातों को और खराब कर दिया था। मुख्यतः ठेका मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, टेम्पररी, फिक्स्डटर्म, प्रशिक्षु व ट्रेनी आदि मजदूरों का यही तबका जिसका बहुमत प्रवासी मजदूरों का था, सबसे गंभीर रुप से प्रभावित हुआ। इनमें से लाखों का रोजगार ही चला गया। उनके काम के हालातों पर हमला हुआ। उन्हें तय सीमा से कहीं अधिक घंटों तक काम करने को बाध्य किया गया। श्रम कानूनों की पालना की बजाय इन मजदूरों को ही खत्म किया गया। भाजपा सरकार, मजदूरों को रौंदकर संकट से पार पाने की इच्छा रखने वाले मुनाफे के लालची मालिकों के सामने मजदूरों को गुलाम बना देने के लिए उन्हें हासिल थोड़ी बहुत कानूनी सुरक्षा को हटा देने के

लिए पहले से काम पर लगी हुई थी। अचानक किये गये लॉकडाऊन ने मजदूरों को तैयारी का कोई मौका नहीं दिया और उनके हालात बदतर हो गये। सरकार की ओर से कोई मद्द न मिलने के कारण वे सड़कों पर आने को मजबूर हो गये।

प्रवासी मजदूरों ने जिस प्रकार सरकार द्वारा पूर्ण उपेक्षा पर अपनी हताशा को निकाला वह अभूतपूर्व था। अपने निशब्द विद्रोह के द्वारा इन मजदूरों ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने मजदूरों के साथ कैसा सुलूक करता है। अपने पैरों पर भरोसा करते हुए, एक बार जब उन्होंने समझ लिया कि सरकार किसी तरह उनकी मद्द को तैयार नही तो उन्होंने चुप रहकर ताकतवर ढंग से सरकार व प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया।

मजदूरों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार वास्तविक कारणों को नजरंदाज कर केवल सहानुभूति प्रदर्शन तक सीमित रखना पाखंड होगा। क्योंकि उन्हें केवल सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उन्हें जिन्दा रहने के लिए भोजन व तुरन्त वित्तीय मद्द की जरूरत है उन हालातों को दुरुस्त करना जिनके कारण उनकी ऐसी दुर्दशा है। केन्द्र में एक के बाद एक आयी सरकारों के द्वारा अपनायी व लागू की गई नीतियों ने देश की दौलत पैदा करने वाले, देश की जनता को सेवा प्रदान करने वाले मजदूरों को ऐसी दलदल में धकेल दिया है। इन स्थितियों को बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि, सीटू बार–बार दोहराता है, समस्याओं व नीतियों के बीच संबंध को सामने लाना होगा तथा इन नीतियों का निर्धारण करने वाली राजनीतिक का पर्दाफाश करना होगा। एकजुट अभियान, निर्मम पर्दाफाश तथा इन नीतियों को बदलने के लिए एक संकल्पबद्ध फैसलाकुन संघर्ष समय की माँग है।

कड़े श्रम कानून, नियोक्ताओं के लिए निवेश न करने का एक बड़ा बहाना रहे हैं और सरकारें, चाहें भाजपा के नेतृत्ववाली हों या कॉंग्रेस के, इससे सहमति जताती रही हैं। लेकिन सच क्या है? हमारी श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत किसी भी श्रम कानून के दायरे में ही नहीं आता है। जिन प्रवासी मजदूरों को हमने सड़कों पर देखा वे इसी श्रेणी में आते हैं। उनका वेतन 10 से 15 हजार तक होता है। इससे अधिक नहीं। इनमें से अधिकतर को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है। उनके पास रोजगार की सुरक्षा नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण बताता है कि लॉकडाऊन के दौरान 80 प्रतिशत शहरी मजदूरों का रोजगार चला गया है और 61 प्रतिशत शहरी घर परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक सप्ताह के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं है। क्या यह स्थिति किसी भी तरह की कल्पना के द्वारा 'कड़े श्रम कानूनों' का संकेत देती है? या कि नियोक्ताओं व सरकारों की उस मिली भगत का जिसमें बेहिचक श्रम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।

लॉकडाऊन के दौरान, गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने असहाय होने का रोना रोते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन को कम करना उनके लिए असंभव हो रहा है। भारत सरकार ने कितना निर्धारित किया? केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 178 रुपये प्रतिदिन 'प्लोर लेवन' वेतन की घोषणा की थी हालांकि इसे अधिसूचित नहीं किया गया। मनरेगा के तहत 30 दिन का वेतन लगभग 6060 रुपये बैठता है। वे यह मामूली सी राशि भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वे माँग करते है कि मजदूर जहाँ भी गये हों, काम शुरु होने की घोषणा के 3 दिन के अंदर वापिस लौटकर सूचित करें। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि क्या काम से बाहर निकाल दिये जाने के बाद मजदूरों को लॉकडाऊन में खाना मिला, मजदूर व उसका परिवार कहाँ और कैसे रहा। लेकिन अब वे चाहते हैं कि उनके उद्योग में काम शुरु होते ही मजदूर गुलामों की तरह कहते ही काम में जुट जाने के लिए तैयार रहें। क्या इस व्यवस्था में निर्दयता की कोई सीमा है?

आँखो में धूल झौंकने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किये कि लॉकडाऊन के दौरान कोई छंटनी, वेतन कटौती नहीं होगी, घरों से नहीं निकाला जायेगा। लेकिन 90 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों के लिए ये निर्देश लागू नहीं हुआ। सरकार ने भी इसे लागू करवाने के लिए कुछ नहीं किया। 54 दिनों के बाद उसने निर्देश वापिस ले लिए। क्या इसे 'कडा' कहा जा सकता है? लेकिन नियोक्ता संतुष्ट नहीं है। वे और ज्यादा लचीलापन चाहते हैं, कोई न्यूनतम वेतन नहीं, मजदूरों के कोई ट्रेड यूनियन नहीं और उन्हें 'लगाओ–भगाओ' का अधिकार हो। वे चाहते हैं कि मजदूरों को 19वीं सदी के हालात में धकेला जाये जहाँ उन्हें ठीक से जीने भर से वंचित किया जा सके और आधुनिक समय के गुलामों से रुप में उन्हें 12 घंटे तक काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। भारत सरकार के श्रम सचिव ने तुरन्त ही राज्य सरकारों को लिखा कि काम के घंटे बढ़ाने और

श्रम कानूनों में बदलावों पर विचार करें। सरकार के लिए, स्पष्ट है ये उसे पैसा देने वालों के आदेश हैं जिनका उसे पालन करना ही होगा। प्रधानमंत्री उनके नियमित संपर्क में हैं। लेकिन मान्यवर प्रधानमंत्री जी एक बार भी मजदूरों के प्रतिनिधियों से मिलना नहीं चाहते हैं। सरकार ने बड़े धूम धड़ाके से 20 लाख करोड़ का 'पैकेज' घोषित किया। लेकिन इसमें इन हताश मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। जो है वह वादे और कर्ज की गारण्टी है। इसके साथ ही इसमें भाजपा सरकार द्वारा पहले ही घोषित किये जा चुके 'सुधारों' को सार्वजनिक क्षेत्र के खात्मे, श्रम कानूनों के मटियामेट और कारपोरेट कृषि पर जोर देते हुए दोहराया गया है। सभी कीमती संसाधनों–मानवीय व प्राकृतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाईयों के रुप में हमारी राष्ट्रीय दौलत देना इसका मकसद है। 'आत्मनिर्भरता' कहा जा रहा है।

यह और कुछ नहीं बल्कि देश को उन स्थितियों में ले जाना है जब हम ब्रिटिश के अधीन थे। यदि इन नीतियों को लागू होने दिया गया तो हमारे मजदूरों, किसानों व खेत मजदूरों को देशी–विदेशी एकाधिकारी व व्यापारिक घरानों के रहमोकरम पर रहना होगा। भाजपा सरकार ने उन्हें 15.62 लाख करोड़ रुपयों की छूट दी है लेकिन वह सरकार द्वारा थोपे गये लॉकडाऊन के कारण संकट में फसे मजदूरों व किसानों को राहत देने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं। दलील दी जा रही है कि ऐसा करने से वित्तीय घाटा बढ़ जायेगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के प्रति ज्यादा वफादार है। मजदूर जो अपने द्वारा खरीदी गयी प्रत्येक चीज पर टैक्स देते हैं उन्हें राहत से वंचित करते हुए उसे 'खैरात' कहा जा रहा है और जानबूझ कर टैक्स व बैंकों से लिया कर्ज अदा न करने वाले देश से भाग जाने वाले अमीरों के लिए इसे 'प्रोत्साहन' बताया जा रहा है।

यह पूँजीवाद है, वह व्यवस्था जो जनता के कल्याण के लिए नहीं लालच और मुनाफे से संचालित होती है।

इसका संज्ञान न लेना, सरकार की नीतियों का समर्थन करना और प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर द्रवित होना घड़ियाली आंसू बहाना है। इन नीतियों का अवश्य ही मजबूती से विरोध किया जाना चाहिये उन्हें परास्त व बदला जाना चाहिये।

आने वाले दिनों में हमे इसी समझ को विकसित करने के लिए जमीनी स्तर पर सीटू के कैडर, कार्यकर्ताओं व सभी तरह के अभियान को केवल कार्यस्थलों व नगरों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसे गाँवों तक देश के दूरदराज भागों तक ले जाना है।

लॉकडाऊन के दौरान हमारी गतिविधियों के अनुभव ने साबित किया है कि ऐसा करने की क्षमता व संभावना है। इसका पूरा उपयोग व विस्तार किया जाना चाहिये। संयुक्त संघर्षों को जमीनी व उच्च स्तरों तक ले जाने के लिए शारीरिक रुप से आवागमन की सीमाओं को हमें अपने दिमागों विचारों व रचनात्मक क्षमताओं को सक्रिय कर पार किया जाना चाहिये।

3 जुलाई के असहयोग व अवज्ञा के अखिल भारतीय विरोध दिवस के संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान के प्रति यही हमारा नजरिया होना चाहिये जिसका विस्तृत खाका संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच तैयार करेगा। जिसे 9 जुलाई को अंतिम रुप दिया जाएगा। सीटू द्वारा किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के साथ मिलकर तय किये अभियान के लिए भी हमें इसी नजरिये को सामने रखना है।

सीटू ने मंहगाई भत्ते को जाम करने की निंदा की

सीटू केन्द्र सरकार द्वारा कोविड–19 की दुहाई देकर जनवरी 2020 तथा जनवरी 2021 में कर्मचारियों व पेंशनरों को दिये मंहगाई भत्ते की जाम बल्कि जब्त करने के आदेश की भर्त्सना करता है। सीटू ने इस आदेश को वापिस लिए जाने तथा राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देना जारी रखने में सक्षम बनाये रखने के लिए उनकी वित्तीय मदद की माँग की है।

सीटू ने सरकारी कर्मचारियों के आंदोलनों से विशेषकर और ट्रेड यूनियन आंदोलन से आमतौर पर एकजुट होकर इस प्रतिगामी मजदूर विरोधी कदम का विरोध करने का आह्वान किया।

केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों के बयान से

3 जुलाई के राष्ट्रव्यापी विरोध की पृष्ठभूमि

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयूस) ने 3 जून 2020 को नई दिल्ली में अपनी मीटिंग में, मजदूरों के अधिकारों पर सरकार के हमलों के खिलाफ और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलावों को रोकने की माँग को लेकर किए गए 22 मई को सफल राष्ट्रव्यापी विरोध के लिए मजदूरों को बधाई दी है।

सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरों पूर्ण भुगतान और छंटनी न किए जाने के अपने आदेशों को लागू कराने में न केवल असफल रही; बल्कि उच्चतम न्यायालय में इसे नियोक्ताओं (मालिकान) द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने पर उसने इसे वापस भी ले लिया। सरकार ने असंगठित मजदूरों (पंजीकृत या अपंजीकृत) सहित सभी आयकर के दायरे से बाहर वाले परिवारों को 7,500 रूपये का नकद हस्तान्तरण भी नहीं किया, और ना ही सार्वभौमिक राशन वितरण किया; मजदूरों को घर जाने के लिए सुरक्षित–यात्रा भी नहीं करायी जैसा कि सीटीयूस द्वारा माँग की गई थी। इसके बजाय, केन्द्र सरकार ने विनिवेश और निजीकरण के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए कोविद–19 लॉकडाउन को चुना है; मुख्य क्षेत्रों में 100% एफडीआई; *आत्म–निर्भर भारत* का पक्ष लेते हुए देश के प्राकृतिक संसाधनों और व्यवसायों को देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् के पक्ष में बढ़ावा देने के लिए कदम उठाऐ हैं। रक्षा, कोयला, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, बीमा, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण/निगमीकरण व्यावसायीकरण करने के पहले और कोविद–19 लॉकडाउन के दौरान लिए गए फैसलों पर आक्रामक तरीके से काम किया जा रहा है। सरकार ने 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और 68 लाख पेंशनरों की डीआर फ्रीज कर दिया और कर्मचारियों और सीटीयू के विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया।

बैठक में 1 जून को बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के क्षेत्रीय आन्दोलन का स्वागत किया गया और डिफेन्स फेडरेशनों के विरोध कार्यक्रमों तथा ''स्ट्राइक बैलेट'' का समर्थन किया, और उनमें 10–11 जून को कोयला खदान क्षेत्र के लोग शामिल थे। सीटीयूस ने आशा, आँगनबाड़ी, मिडेमील; सफाई कर्मचारी 108 एम्बुलेंस कर्मचारी;नर्स और डॉक्टर सहित कोविद–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के फ्रंटियर वर्कर्स योद्धाओं के आन्दोलन और उनकी माँगों का समर्थन किया; और उनके लिए उचित सुरक्षा उपाय, उचित स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज की माँग की है।

सरकार का तथाकथित 20 लाख करोड़ का पैकेज और कुछ भी नहीं है, बल्कि पीड़ित जनता को लोन गारंटी, पहले से घोषित बजटीय आवंटन और कल्याणकारी योजनाऐं आदि कोरी झाँसेबाजी और उनके साथ क्रूर मजाक है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को भी कवर करने के लिए मनरेगा के बढ़े हुए कवरेज की माँग की है; लेकिन, इसके लिए तो केवल एक मामूली राशि की घोषणा की गई थी। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भोजन सहायता और शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के विस्तार की माँग करती हैं, जिसमें सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी मजदूरों को शामिल किया जाए।

फिर से खोली गई औद्योगिक इकाइयाँ अपने सभी मजदूरों को काम पर रखने के बजाय केवल एक छोटे प्रतिशत को ही रख रही हैं और वो भी बहुत ही कम वेतन पर साथ ही लॉकडाउन की अवधि के वेतन से इंकार कर रही हैं। बेरोजगार 14 करोड़ से अधिक हैं; और दिहाड़ी मजदूर, ठेका और कैजुअल वर्कर्स को जोड़ने पर यह संख्या 24 करोड़ से अधिक है। बेरोजगारी दर पहले ही 27 प्रतिशत से ज्यादा तक पहुँच गई है। आईएलओ, ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 40 करोड़ से अधिक जनता को गहरी गरीबी में धकेला जा रहा।

मोदी सरकार ने कोविद–19 की समस्या को बेहद संवेदनशील तरीके से लिया है; इसे इंसानों और समाज के लिए चिकित्सा आपातकाल के रुप में घ्यान देने के बजाय ज्यादातर इसे कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में निपटाया गया है। इसने लाखों मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भारी कष्ट पहुँचाया है; केवल कॉरपोरेट्स और बड़े व्यवसायों के साथ खड़ी रहीं है।

जिस सरकार के पास मजदूरों और जनता के अधिकारों और बुनियादी अस्तित्व–अधिकारों के प्रति कोई सम्मान और चिंता नहीं है, वह किसी भी सहयोग लायक नहीं है।

कोविड–19

पूँजीवाद को मजबूत करने की भाजपा–आर.एस.एस. सरकार की मुहिम; और मजदूर वर्ग का आंदोलन

जे.एस. मजूमदार

कोविड–19 से जुड़ी दो बुनियादी बातों को रेखांकित करना आवश्यक है– एक तो इस राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन और दूसरी बात स्वयं कोविड–19 के बारे में है।

आपदा प्रबंधन के बारे में

कोविड–19 संबंधी लॉकडाऊन व अन्य निर्देश/दिशा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा जारी किये जा रहे जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी एक्ट, 2005 के तहत 9 सदस्यीय अथॉरिटी है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च अथॉरिटी है। फैसलों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है। इस अथॉरिटी के सभी फैसलों का केन्द्र व राज्य सरकारों को पालन करना होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के पास (1) ट्रेड यूनियन अधिकारों सहित नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती, (2) केन्द्र राज्य संबंधों व संघीय अधिकारों पर नियंत्रण; तथा (3) सेंसराशिप की असामान्य निरंकुश शक्तियां हैं।

कोविड–19 के बारे में

यह कोरोना वायरस समूह में से एक है जिसे डब्लयू.एच.ओ. ने 2019 की कोरोना वायरस डिजीज (कोविड–19) का नाम दिया है।

किसी भी वायरस के विरुद्ध कोई दवा नहीं है। सिर्फ शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के माध्यम से विकसित एंटीबॉडी ही – स्वरक्षा तंत्र या टीके के रुप में बाहर से लिए गये रक्षा तंत्र के माध्यम से ही वायरस से बचाव होता है।

कोविड–19, कोरोना वायरस समूह का एक नया वायरस है जो हाल ही में जानवरों से मनुष्यों में आया है; और इसलिए मनुष्यों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से एंटीबॉडी नहीं बने हैं; और इसके टीका निर्मित होने में समय लगेगा।

इसके घातक होने, मृत्यु दर तथा इसके फैलाव के कारण; लॉकडाऊन व प्रतिबंध जरुरी हुए। लेकिन इन कदमों से इसके और अधिक फैलाव को केवल आगे टाला जा सकता है जिससे सार्वजनिक स्वास्थय व्यवस्था को कहीं ज्यादा प्रभावी बनाकर इसका मुकाबला किया जा सके। शरीर में प्रतिरोधी क्षमता कैसे विकसित होगी, अभी किसी को पता नहीं। कोविड–19 भी चेचक व चिकन पॉक्स की तरह हमारे साथ स्थायी रुप से रहने वाले हैं, जो टीके बन जाने के कारण बीमार करने की क्षमता खो चुके हैं। हम कोविड–19 के विरुद्ध भी ऐसा तंत्र विकसित कर लेंगे और सुरक्षात्मक कदमों के साथ भविष्य में इसके साथ रहेंगे।

कोविड–19 में पूँजीवाद को मजबूत करने की मुहिम

कहते हैं कि महामारी या अन्य वजहों से युद्ध व संकट हमेशा शासकों की मदद करते हैं। कोविड–19 के बारे में भी यह सच है। ऐसा और भी ज्यादा है क्योंकि इसकी प्रकृति महामारी की है। दुनिया के देश, पूँजीवादी विकास के रास्ते पर चलते हुए इसे कोविड–19 की परिस्थिति में पूँजीवाद को मजबूत कर रहे हैं और विशाल मेहनतकश तबके को मुसीबतों व कंगाली के गर्त में धकेल रहे हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में हमेशा ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए, शुरुआती उठान के बाद जब नव–उदारवादी नीतियां असफल रहीं तो पूँजीवादी देशों वे कारपोरेटो के द्वारा सार्वजनिक धन को हथियाने के लिए 'बेल–आऊट' व ' बेल–इन' पैकेजों को अपनाया। इसी तरह जब 2007 के अंत व 2008 के शुरु में वर्तमान में जारी आर्थिक

संकट सामने आया तो विकसित पूँजीवादी देशों ने आइ.एम.एफ. व यूरोपियन सेंट्रल बैंक के आदेशों पर बड़े पैमाने पर रोजगार, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पर हमला किया।

मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकशों की बदहाली

कोविड–19 के चलते 25 मार्च, 2020 से आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने भारत में देशव्यापी लॉकडाऊन व प्रतिबंध थोप दिये। नये–नये दिशा–निर्देशों के साथ इसे बार–बार आगे बढ़ाया गया। बीमारी के फैलाव के लम्बे समय तक चलने के कारण लॉकडाऊन अप/डाऊन दिशा–निर्देश होंगे।

सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल प्रबंधन सहित धारे जनविरोधी नीतियों की असंवेदनशीलता के चलते कोविड–19 लॉकडाऊन ने मजदूरों व किसानों पर जिनमें प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या व किसानों व अन्य मेहनतकशों के हाशिये पर पड़े तबकों भी शामिल है,ऐसा कहर बरपा किया है जिसे बयान करना मुश्किल है।

रोजगार विहीन, वेतन विहीन, आश्रय विहिन और गांवों में छूटे सपनों की चिंता ने, 10 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के लाखों को अन्य हजारों– लाखों प्रवासी गरीबों के साथ नियमित रेल व सड़क परिवहन के अभाव में लॉकडाऊन के दौरान हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया। इनमें सैकड़ों रेल पटरियों, सड़कों पर दुर्घटानों– व रेलों में मारे गये। सहानुभूति के स्थान पर उन्हें सड़कों व राज्यों की सीमाओं पर पुलिस व प्रशासन के हाथों बेइज्जती दमन व हमलों का सामना करना पड़ा। यह राष्ट्रीय त्रासदी व शर्म भारतीय गणतंत्र की स्थापान के 70 वर्ष वाद मजदूरों के हालात के रुप में इतिहास में दर्ज रहेगा।

कृषि क्षेत्र में/लॉकडाऊन के कारण फसल की कटाई में हुई देरी से नुकसान हुआ; खेतमजदूरों का काम व आजीविका छिन गई; किसानों को बाजार व फसलों का दाम नहीं मिला। लॉकडाऊन के चलते कितने ही अन्य हाशिये के तबकों की आजीविका खत्म हो गई।

निरंकुशता का थोपा जाना

कोविड–19 के दौरान, केन्द्र द्वारा लोकतांत्रिक व संसदीय व्यवस्था को दबाकर तथा लॉकडाऊन के नाम पर पुलिस का प्रयोग कर मजदूरों व जनता को गिरफ्तार कर, हिरासत में लेकर उनके विरोध करने के अधिकार को दबाकर एक निरंकुश शासन स्थापित किया गया। पुलिस/इंटेलिजेंस विपक्षी दलों व जन संगठनों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।

पूँजीवाद की मजबूती

इसी समय, सत्ताधारी भारत में कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से पूँजीवाद को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 'आत्मनिर्भरता' के नाम पर इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे है।

नीति आयोग ने पूँजीवाद को मजबूत किये जाने के नजरिये स्थिति का विश्लेषण किया है। इसका पाँच सूत्री निष्कर्ष हैः

1) घर से काम (वर्क फ्रॉम होम): नीति आयोग के अनुसार, 8 घंटे के कार्यदिवस की बंदिश को तोड़ते हुए वर्क फ्राम होग को बढ़ावा देने का यह सबसे अच्छा समय है। वर्क फ्रॉम होम अंततः पीस रेट वाला काम बन जायेगा और वह भी ठेके पर। इससे ऑफिस की जगह व अन्य तथा आने–जाने का खर्च आदि भी बचेगा।

2)चीन से आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना :

नीति आयोग के अनुसार, कोविड–19 ने एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति पैदा की है जो फार्मास्यूटिकल, मोबाइल पार्टस, ऑटो पार्टस आदि की चीन से भारत को होने वाली आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ देगी। इस स्थिति में केन्द्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने उत्पादन आधार को चीन से हटाकर उन देशों में ले जायेंगे जहाँ श्रम सस्ता है और परिस्थितियॉ उनके अनुकूल हैं।

भारत कुछ अन्य देशों के साथ इस मौके को लेने की होड़ में है और इसीलिए, (I) केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निजी उद्योग मालिकों के पक्ष में 'श्रम–सुधार' किये जा रहे हैं; (II) एफ.डी.आई. के नियमों में ढील दी जा रही है, और (III) निगमीकरण व निजीकरण को तेज किया जा रहा है।

पूँजी के पक्ष में श्रम सुधार

केन्द्र सरकार शेष तीन श्रम संहिताओं को भी संसद में पारित कराने का प्रयास कर रही है। वेतन संहिता को पहले ही पास किया जा चुका है और वह एक्ट का रुप ले चुकी है। आकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ (ओ एस एच) तथा इंडस्ट्रियल रिलेशन्स (आई आर) कोड संसद की स्थायी समिति के पास हैं– दोनों रिर्पोटों को कोविड–19 के व्याप्त होने बाद भी जल्दी से स्पीकर के पास जमा किया गया। स्थायी समिति में सी.पी.आइ (एम), सी पी आइ व डी.एम.के सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज करायी।

केन्द्रीय श्रममंत्री ने कुछ मुख्यमंत्रियों से बात कर राज्यों में नियोक्ताओं के पक्ष में श्रम सुधार शुरु करने के लिए कहा, विशेषकर काम के घंटे बढ़ाने के लिए। यू.पी. एम.पी., गुजरात, पंजाब व कुछ अन्य राज्यों ने कार्यकारी आदेशों के माध्यम से काम के घंटे बढ़ा दिये। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने तब 5 मई, 2020 को राज्य सरकारों को एक सलाह पत्र जारी किया जिससे सुझाव दिया गया, कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं' और इसके तहत, कोविड–19 को संबोधित करने के लिए काम के घंटों को 8 से 12 घंटों तक बढ़ाया जा रहा है। अभी तक 15 राज्य सरकारें ऐसी अधिसूचना जारी कर चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, यू.पी,, एम.पी. व गुजरात जैसी राज्य सरकारों ने अगले 3 वर्षों/1000 दिनों तक श्रम कानूनों का क्रियान्वयन रोक दिया है।

एफ.डी.आई. नियमों में ढील

केन्द्र सरकार ने ऑटोमेटिक रुट से एफ.डी.आई. की घोषणा की है और फार्मा, प्रतिरक्षा उत्पादन आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी राज्य/घरेलू हिस्सेदारी को कम कर दिया है।

निगमीकरण व निजीकरण

रेलवे, आयुध्य कारखानों का निगमीकरण; रक्षा उत्पादन को आऊट सोर्स; वाणिजयिक उद्देश्यों के लिए कोयला खदानों का निजीकरण तथा पी.पी.पी. मॉडल पर स्पेस रिसर्च व एटॉमिक एनर्जी का निजीकरण का देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।

करों में छूट तथा कारपोरेट डिफॉल्टरों को माफी

इसके अतिरिक्त,कर्ज अदा न करने वाले कारपोरेट डिफॉल्टरों को 5 लाख करोड़ रुपये की कर छूट तथा चौकसी,विजय माल्या जैसे बैंकों का कर्ज अदा न करने वाले भगोड़े कारपोरेटों की कर्ज माफी। यह सब उन्हें निजीकरण का लाभ देने के लिए पी.पी.पी. मॉडल में शामिल होने के लिए है।

(3) टेली मेडिसिन की अभूतपूर्व वषद्धि

नीति आयोग का निष्कर्ष है कि कोविड–19 से टेली, मेडिसिन में भारी वृद्धि होगी– जो आई टी के जरिये मरीज–डॉक्टर के नुस्खे को लेकर खुशफहमी है। नीति आयोग सुझा रहा है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थय नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी, कोविड–19 की टैस्टिंग व ट्रीटमेंट के मामले में जिसकी कमी का पर्दाफाश हो चुका है। यह आयुष्मान भारत प्रोजक्ट के तहत बीमा आधारित स्वास्थय सेवाओं, निजी अस्पतालों के अतिरिक्त है।

4) सम्पर्क रहित आपूर्ति जैसे ई–कॅमर्स, ई–फार्मेसी को बढ़ाना

नीति आयोग मानता है कि कोविड–19 खुदरा व्यापार में ई– कामर्स व ई– फार्मेस को बढ़ावा देने का एक अवसर है। खुदरा व्यापार का निगमीकरण जिसमें अमेजन जैसे बड़े विदेशी कारपोरेट शामिल है, करोड़ों लोगों के रोजगार व आजीविका पर भारी आघात करेगा। भारत में खुदरा व्यापार का जी डी पी में योगदार 10 प्रतिशत है, इसमें कोई 4 करोड़ या देश की कुल आबादी का 3.3 प्रतिशत जुड़ा है जो कृषि के बाद आता है तथा परिवार के सदस्यों समेत 20 करोड़ लोगों का जीवन इस पर निर्भर है। ई–फार्मेसी,निगमीकरण की मुहिम का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य 5.5 लाख खुदरा दवाई विक्रेताओं तथा 12 लाख कर्मचारियों को हटा देने का है। कैमिस्ट व ड्रगिंस्ट का अखिल भारतीय संगठन इसके विरुद्ध पहले ही लड़ाई में उतरा हुआ है और हड़ताल तक कर चुका है।

5) ढांचागत सुधारों की नीति

नीति आयोग का निष्कर्ष, कोविड–19 महामारी का लाभ उठाते हुए तेजी से ढांचागत सुधारों की नीति पर अमल की वकालत करता है। श्रम, एफ.डी.आई., निगमीकरण व नीजिकरण, करों में छूट आदि जैसी ढांचागत सुधारों की कुछ नीतियों पर पहले ही अमल हो रहा है ऐसी और नीतियॉ आने वाली है।

प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ का 'आत्मनिर्भर भारत' कोविड–19 राहत कोष और वित्त मंत्री की राहत की पाँच खेपें

इसी ढांचागत बदलाव के लिए ही प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के 'आत्मनिर्भर भारत' कोविड–19 राहत कोष की घोषणा की। इसके तुरन्त बाद वित्त मंत्री की ' आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस राहत कोष की पाँच खेपों की घोषणा के लिए भाषण श्रंष्खला के पाँच एपीसोड। सीटू ने इन्हें 'विदेशीकरण', कारपोरेटों की मजबूती व मेहनतकशों– मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों के हकों पर कुठारघात तथा बर्बादी व औद्यीकरण के विनाश के पाँच कदम करार दिया है।

20 लाख करोड़ का यह कोविड–19 राहत कोष एक गणितीय धोखबाजी है जिसमें आर.बी.आई. द्वारा पहले ही घोषित पब्लिक सैक्टर बैंकों की लिक्विडिटी; कर्जे, देरी से होने वाला कर संग्रह, ई.पी.एफ. योगदान आदि शमिल हैं जबकि सरकार का वास्तविक योगदान 50,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होने वाला है।

पहली और दूसरी खेपों की घोषणा प्रवासी मजदूरों को राहत व श्रम आधारित एम.एस.एम.ई. के लिए की गयी। घोषणायें तोड़–मरोड़ व झूठों से भरी हैं। वित्तमंत्री ने तुरन्त राहत के स्थान पर भविष्य में आवास व आधारभूत ढांचे की ज्यादा चर्चा की।

प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न व 1 किलो चना प्रति परिवार देने की घोषणा भी उद्देश्य के प्रति ईमानदारी की कमी तथा पहचान की कमी को लेकर सवालिया निशान लगाती है; पूर्व में ऐसी राहत का 80 प्रतिशत उसके लाभान्वितों तक नहीं पहुँचा। पैकेज में एम. एस.एम.ई. समेत व्यापार के लिए 3 करोड़ की आपात वर्किंग कैपिटल की सुविधा शामिल है। इसमें जो 'एम.एस.एम.ई. समेत– जोड़ा गया है वह इसलिए ताकि बड़े व्यापारिक घराने इसे हड़प लें।

तीसरी खेप भूमि प्रबंधन व कृषि उत्पाद के लिए है। यह पैकेज इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि लैंड बैंक के जरिये एस.ई.जेड. के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सके; कृषि का निगमीकरण व ठेका कृषि हो सके; खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हुए खाद्यान्न की निजी खरीद हो सके,कृषि उत्पाद मंडी समितियों को किनारे कर मुक्त बाजार हो सके, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन तथा फ्री ट्रेड व एक्सपोर्ट तथा कृषि उत्पादों का वायदा कारोबार हो सके।

चौथी खेप कारपोरेटों को विशेषकर विदेशी कारपोरेटों को बड़ी सौगात है, इसमें देश की सुरक्षा से समझौता का 74 प्रतिशत रक्षा उत्पादन आटोमेटिक रुट से होगा; कोयला व खनिजों में ऑटोमेटिक रुट से 100 प्रतिशत एफ.डी.आई.; विमानन क्षेत्र का निजीकरण; बिजली संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से सबसे आवश्यक उपयोगी वस्तु बिजली के निजीकरण को बढ़ावा, इसके लिए केन्द्रीयकृत अथॉरिटी की स्थापना करना, सब्सिडी समाप्त करना; तथा स्पेस रिसर्च व एटामिक एनर्जी का निजीकरण करना शामिल है।

पैकेज की पाँचवी खेप संघवाद पर एक बड़ा हमला है जिसमें किसानों मुफ्त बिजली देना बंद करते हुए बिजली सुधारों को मंजूर करना तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस आदि के साथ मोदी सरकार के पूँजी हितैषी सुधारों के एजेंडों को सामने रखा गया है।

मजदूर वर्ग का प्रतिरोध

श्रम कानूनों पर भाजपा–आर एस एस सरकारों के हमले ऐतिहासिक व संविधानिक दिशा–निर्देश के विरुद्ध हैं। ऐतिहासिक दिशा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन से जुड़े पाँच बिन्दुओं को समझा जाये–

(।) यह कि मजदूर वर्ग के स्वयस्फूर्त विरोध विकसित होकर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने और पहले केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के बनने के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर उसका अभिन्न हिस्सा हो गया;

i. यह कि श्रम कानून स्वतंत्रता संग्राम के दौर में मजदूर वर्ग के शानदार संघर्षों का परिणाम हैं;

ii. यह कि, समझौतापरस्ती की लाइन के खिलाफ लड़कर मजदूर वर्ग की एकता को पुनः बहाल करने के लिए संघर्ष किया गया;

iii. यह कि सत्ता परिवर्तनों के बावजूद नवउदारवादी सुधारों पर किया गया; और

iv. यह कि, उपरोक्त चारों की विरासत के साथ भारत में मजदूर वर्ग का आंदोलन कोविड–19 के दौरान सामने आयी कारपोरेटो की पक्षधर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने में सफल होगा और मजबूत होकर निकलेगा।

श्रम कानून व संविधानिक दिशा

मजदूर वर्ग की यह एकता संघर्ष और उसका स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा होने ने श्रम कानून के लिए जमीन तैयार करने और उन्हें भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कराया। भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 43 कहता है,'' राज्य सभी मजदूरों को लिविंग वेज, एक सम्मानजन जीवन जीने लायक हालात सुनिश्चित करने वाला कार्य सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा।''

भारत के स्वतंत्र होने के तुरन्त बाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, फैक्टरीज एक्ट,1948, ई.पी.एफ. एक्ट, 1952 आदि कई श्रम कानून बनाये गये। न्यूनतम वेतन अधिनियम का 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए 5 मानदंडो पर गहरा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 के रप्ताकोसा ब्रेट के अपने फैसले में एक और मानदंड जोड़ते हुए इसे अनुच्छेदित किया। ट्रेड यूनियन आंदोलन ने स्वतंत्र भारत में अपने हड़ताली संघर्षों को जारी रखा और बोनस एक्ट, 1965; कांट्रेक्ट लेबर एक्ट, 1970; ग्रेच्चुटीएक्ट, 1972; कांट्रेक्ट लेबर वेलफेयर एक्ट,1996 आदि हासिल किये।

भाजपा–आर एस एस सरकारों द्वारा श्रम कानूनों का निलंबन इस ऐतिहासिक व संविधानिक दिशा के विरुद्ध है।

एकता व संघर्ष की लाइन का आगे बढ़ाना

1970 में सीटू की स्थापना के बाद, आपातकाल के बाद एकता व संघर्ष की लाइन आगे बढ़ी जिसकी झलक 1978 के आइ.आर. विधेयक के खिलाफ हुई ऐतिहासिक रैली में दिखायी दी। इसके बाद, 19 जनवरी, 1982 को स्वतंत्र भारत में मजदूरों की पहली आम हड़ताल हुई जिसमें मेहनतकशों के अन्य तबकों के आ जाने से वह भारत बंद में बदल गई थी जिस पर भारी पुलिस दमन के चलते देश के विभिन्न भागों में पुलिस फायरिंग में मजदूरों, खेत मजदूरों, छात्रों समेत 10 लोग मारे गये थे।

नवउदारवादी हमले और मजदूर वर्ग का प्रतिरोध

तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी निर्देशित उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के एजेंडे की शुरुआत की थी। तब से केन्द्र में आयीं एनडीए व यूपीए की सरकारों ने कोविड–19 की वर्तमान परिस्थिति समेत विश्व की परिस्थितियों में बदलाव के अनुरुप इस एजेंडे को आक्रामक ढंग से आगे बढाया है।

लेकिन, उस समय,संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन हड़ताल के अपने सबसे ताकतवर हथियार के साथ तैयार था और इसके चलते काफी हद तक प्रतिरोध करने और कुछ क्षेत्रों में नवउदारवादी एजेंडे के अमल को धीमा कर पाने में समर्थ रहा। सैक्टारेल संघर्षों की श्रृंखलाओं के अतिरिक्त मजदूरों की 18 आम हड़तालें हुई है।; आरएसएस से संबंधित बीएमएस, मोदी सरकार के केन्द्रीय सत्ता में आने के बाद इन संघर्षों में अनुपास्थित रहा है।

मजदूर वर्ग कोविड–19 में आयी कारपोरेट हितैषी चुनौतियों का मुकाबला करेगा

कोविड–19 लॉकडाऊन के बावजूद, 21 अप्रैल,2020 के विरोध में, लॉकडाऊन और कम समय के नोटिस पर लोगों जो भागेदारी हुई उसने नये तरह से जनता के विरोध में एक नया अध्याय जोड़ा है जिसमें परिवारों व अन्य तबकों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद 22 मई, 2020 का ट्रेड यूनियनों का संयुक्त विरोध भी इतना ही सफल रहा।

सीटू कोविड–10 के दौर में शारीरिक दूरी व अन्य उपायों का ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठान/उद्योग वार हड़तालों व राज्य स्तरीय कार्यवाईयों को करने की संभावनाओं का परीक्षण कर रहा है। परिस्थिति के बदलने के साथ नयी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संघर्ष के नये रुप सामने आयेंगे। जो प्रभावी ढंग से शासक वर्ग के कारपोरेट हितैषी एजेंडे को चुनौती देंगे।

मजदूर वर्ग व जनता के समक्ष आज मौजूद चुनौती को गंभीरता की बिना; बीते समय के अनुभवों तथा वर्तमान के प्रत्युत्र के अनुसार हम कह सकते है कि कोविड–19 के मौजूदा दौर के बार भी भारत में आर्थिक ढांचागत बदलावों की दिशा आम तौर पर यह रहने वाली है; और चौकन्नी तथा एकजुट मजदूर वर्ग इन चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ होगा और मजबूत होकर निकलेगा। इतिहास इसकी गवाही देगा।

मीडिया इंडस्ट्री

पत्रकारों व अन्य मजदूरों पर भारी हमला

सरकारी अधिसूचना के विपरीत,कोविड लॉकडाऊन के बहाने मीडिया इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बर्खास्तगियां हुई हैं, वेतन कटौतियां हुई हैं, वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी ने कहा है कि, ''ज्यादा से ज्यादा (सरकार की) लॉकडाऊन के दौरान की सलाहों को एक नैतिक, मनावीय कर्तव्य कहा जा सकता है जो निजी प्रतिष्ठानों के बारे में बताया और नैतिक उपदेश को कानूनी कर्तव्य या बाध्यता में नहीं बदला जा सकता है'', और, इसलिए ''मजदूरों को भरपाई करने की जिम्मेदार सरकार की है जिसे निजी क्षेत्र में नियौक्ताओं के ऊपर नहीं डाला जा सकता है।''

कोविड–19 के दौरान फ्रंटलाइन योद्धाओं के तौर पर काम कर रहे पत्रकारों के लिए सेफ्टी उपकरणों बीमा कवर व मुआवजे पैकेज जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में, 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने एक याचिका मंजूर की जिसे कामकाजी पत्रकारों व अन्य कर्मचारियों की ओर से नेशनल अलायंस आफ जर्नालिस्टस, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नालिस्टस तथा बृहन मुंबई यूनियन आफ जर्नालिस्टस ने दायर किया था।

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि बर्खास्तगी, इस्तीफों, वेतन कटौती छुट्टी पर जाने को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाये। कोर्ट ने भारत सरकार, इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी तथा न्यूजपेपर्स एसोसिएशन से दो सप्ताह में जबाब देने का नोटिस जारी किया।

कोविड लॉकडाउन
राज्य कमेटियों द्वारा राहत

हिमाचल प्रदेश

राहत का वितरण

इससे पहले, प्रवासी और स्थानीय मजदूरों के 300 से अधिक परिवारों को पहले ही राहत प्रदान की जा चुकी है। 8 अप्रैल को सीटू के कार्यकर्ताओं ने कठुआ में स्थानीय और प्रवासी निर्माण मजदूरों के लगभग 100 परिवारों को राशन वितरित किया। 9 अप्रैल को सीटू और डीवाईएफआई के नेताओं ने हमीरपुर स्थित सीटू कार्यालय, ज्योति बसु भवन में, 60 परिवारों को लगभग 10 क्विंटल राशन गेहूँ कर आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, नमक आदि वितरित किए। ये प्रवासी मजदूर निर्माण श्रमिक हैं जो ज्यादातर यूपी, बिहार और मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र से आते हैं। 10 अप्रैल को, सीटू और डीवाईएफआई नेताओं ने 146 परिवारों को राशन वितरित किया, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लगभग 700 सदस्य थे। 12 अप्रैल तक, 9 जिलों में 3,696 मजदूरों को राशन वितरित किया गया था। 14 अप्रैल को सीटू और डीवाईएफआई के नेताओं ने हमीरपुर स्थित सीटू कार्यालय में प्रवासी मजूदरों के 105 परिवारों को राशन वितरित किया। लॉकडाउन अवधि में विस्तार के कारण, प्रवासी मजदूरों के बीच भोजन/राशन की समस्या भी बढ़ गई। 15 अप्रैल को, हमीरपुर ब्लॉक के कुठेरा क्षेत्र में 51 परिवारों को राशन वितरित किया है और हमीरपुर में सीटू कार्यालय में प्रवासी मजदूरों के 201 परिवारों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और 2 किलोग्राम नमक के राशन पैकेट वितरित किए गए। इनमें कुछ स्थानीय मजदूर भी थे। 17 अप्रैल को सीटू कार्यालय, हमीरपुर में प्रवासी मजदूरों के 17 परिवारों को राशन वितरित किया गया था।

राहत कार्य जारी है।

राहत सामग्री का संग्रह

9 अप्रैल – निर्माण श्रमिकों की यूनियन के नेतृत्व में भोरंज ब्लॉक में यूनियनों के 13 ग्राम कमेटियों द्वारा लगभग 9 क्विंटल राशन एकत्र किया गया। कई अन्य ग्राम कमेटियों ने भी राशन एकत्र किया है जिसे आगे के दिनों में वितरित किया जाएगा।

15 अप्रैल – हमीरपुर में 13 ग्राम कमेटियों द्वारा 15 क्विंटल से अधिक चावल, आटा, दालें आदि को एकत्र किया गया। मुख्य रूप से इन गांवों के मनरेगा और निर्माण मजदूरों द्वारा राषन एकत्र किया जाता है। 16 अप्रैल को, मनरेगा और निर्माण मजदूरों की यूनियनों की 10 ग्राम कमेटियों से राषन एकत्र किया गया। 17 अप्रैल को, निर्माण मजदूरों की 16 ग्राम कमेटियों से लगभग 20 क्विंटल चावल, आटा, दालें, रिफाइन्ड तेल आदि एकत्र किए गए थे।

हरियाणा

27 मार्च को ही, राज्य और जिला स्तरीय हेल्पलाइन स्थापित की गई थी; और जहाँ–जहाँ कभी भी मदद के लिए फोन आया था, उसका तुरन्त जवाब दिया गया। राहत कार्यों के लिए, हमारे प्रयासों को कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वित किया गया और सरकारी विभागों के साथ भी किया गया। राज्य में, मुख्य रूप से गुड़गांव और जींद में 500 से अधिक सीटू कार्यकर्ताओं ने इस राहत कार्य में भाग लिया है। कुछ जिलों में, एडवा और सर्ब कर्मचारी संघ ने सराहनीय समर्थन दिया। गुड़गांव क्षेत्र में, जहाँ मजदूर सर्वाधिक प्रभावित थे, कुछ एनजीओ और नागरिकों की मदद से 1.73 लाख से अधिक खाने योग्य भोजन के तैयार पैकेटों; और राशन किटों का वितरण, जिनकी प्रत्येक की कीमत रु० 800 थी, 18 अप्रेल तक स्थानीय इलाकों में 5658 परिवारों के बीच करीब 150 सीटू और एडवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। राज्य में, जींद में सीटू द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक रसोईघर के माध्यम से 300 व्यक्तियों सहित प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों को पूरी तरह से तैयार भोजन वितरित किया गया था।

जींद, भिवानी, कैथल, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक में, सीटू के स्थानीय पदाधिकारियों ने स्वयं ही फण्ड और राशन एकत्र किया और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया। अन्य जिलों में 8,000 से अधिक परिवारों को राशन किट वितरित किए गए; उनमें से 50% सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं प्रदान किए गए और कुछ गैर सरकारी संगठनों की मदद से फंड और राशन एकत्र किया। कुछ स्थानों पर मास्क, सैनिटाइजर और फल भी वितरित किए गए।

जम्मू और कश्मीर

हमारी निर्माण श्रमिकों की यूनियनों ने 7 क्वांटल अनाजों, 100 किलो दाल, 100 किलो नमक, 150 किलो आलू, 100 लीटर खाद्य तेल एकत्र किया और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और उसके जीआरईएफ (जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स) के ज्यादातर मजदूरों के बीच वितरित किया। जो जम्मू क्षेत्र में छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी आदि के निवासी हैं। राहत कार्य जारी है। कठुआ में, लगभग 100 प्रवासी मजदूरों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई। कश्मीर घाटी में, कुलगाम जिले में, हमारे साथियों ने अनाज और दालों को एकत्र किया और समाज के सबसे गरीब वर्ग के बीच वितरित किया। गंदरबल जिले में, पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित 42 निर्माण मजदूर, लॉकडाउन से ठीक 4 दिन पहले ही पहुँचे और भुखमरी का सामना कर रहे थे। हमारी निर्माण मजदूरों यूनियनों ने नकद में 6,000 रुपये और 2 क्विंटल चावल, चाय की पत्ती, दालें, आलू, दूध, हल्दी, नमक प्रदान करके उनकी मदद की और उनकी मदद करना जारी रखा है। हमारे साथियों ने जिले में गरीब लोगों को मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए हैं।

जम्मू और कश्मीर में प्रवासी मजदूरों सहित हजारों असंगठित मजदूरों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी आमदनी खो दी है। अधिकांश प्रवासी मजदूर, जो बिहार, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि से हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, को नौकरियों से निकाल दिया गया। अपनी आय खो देने के बाद, वे अनेक दिनों से भूखे रह रहे थे। उदाहरण के लिए, 300 से अधिक रेलवे लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारी हैं, जो शन्टिगों में ही रह रहे हैं, उन्हें ठेकेदारों, रेलवे अधिकारियों या स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं दी गई थी। अन्य प्रवासी मजदूरों के लिए भी यही स्थिति है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 14,000 आशा वर्कर्स, जो घर–घर अभियान के लिए फ्रंटलाइन में लगे हैं, जो संक्रमित देशों और देश के अन्य हिस्सों से आए लोगों पर नजर रखते हैं और कोविद–19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। यह चौंकाने वाला है कि आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्वयं के लिए हाथ सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए कहा जाता है।

कर्नाटक

सीटू कर्नाटक राज्य कमेटी ने बतायाः

26 मार्चः एक सार्वजनिक अपील – हम सीटू ओर से असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ हैं। हम स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, हेड लोड वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, म्युनिसिपल वर्कर और ऐसे अन्य जो जरूरतमंद हैं, जैसे मजदूरों के परिवार में 18 वस्तुओं के किराने के सामान की किट उपलब्ध करा रहे हैं। इन किटों की प्रति यूनिट लागत पैकिंग और परिवहन शुल्क सहित, रु० 800 होंगे। यदि लोग यथासंभव अधिक से अधिक इकाइयों को प्रायोजित करने के लिए आगे आएंगे तो हम बहुत धन्य होंगे। हमारा लक्ष्य 10,000 परिवारों की सेवा करना है। आऐं और हमारे साथ हाथ मिलाऐं।

कुछ घंटों में शानदार प्रतिक्रिया के लिए हर एक को धन्यवाद। (वहीं) उन लोगों का भारी समर्थन था जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रायोजन के आह्वान के 48 घंटे के भीतर कम से कम 2000 इकाइयों को दान दिया।

31 मार्चः आरएमसी यार्ड यशवंतपुर में हमाली मजदूरों को और दषरहल्ली में घरेलू श्रमिकों, ऑटो चालकों को आज खाद्य पैकेटस् वितरित किए गए; बंगलौर में और राज्य में अन्य जगहों पर चरणबद्ध तरीके से रोज वितरित करना जारी रखा जाएगा।

पावरलूम वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने एनेकल तालुक के दम्मसंद्रा में पश्चिम बंगाल से प्रवासी मजदूरों को किराने का सामान वितरित किया गया था।

राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बैंगलोर के सभी 198 वार्डों में खाद्य वितरण केंद्र खोलने पर सहमति व्यक्त की। प्रत्येक वार्ड के खाद्य वितरण केंद्र का पता और स्थान सोमवार को साझा किया जाएगा। यह जानकारी सम्बन्धित राज्यों द्वारा उन प्रवासी मजदूरों को दी जा सकती है, जो बैंगलोर में हैं।

हमारे स्वयंसेवकों को षहर की धारा 144 और लॉकडाउन के कारण गतिशीलता में समस्या हो रही है। बंगाल, असम और ओडिशा के प्रवासी मजदूरों को व्हाइटफील्ड क्षेत्र, बैंगलोर में खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है।

वयोवृद्ध सीटू नेता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोपाल गौड़ा ने अन्य ट्रेड यूनियन कामरेडों के साथ, पूर्वी बैंगलोर के कुन्दनहल्ली में पश्चिम बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों से सम्बन्धित प्रवासी मजदूरों के 625 परिवारों को राशन पैकेट वितरित किए।

केरल

29 मार्च तक की सीटू केरल राज्य रिपोर्टः

केरल की एलडीएफ सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और अन्य सभी को राहत देने के सभी प्रयास कर रही है जो भी कोविद–19 लॉकडाउन से प्रभावित हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों में सहयोग देने में सीटू सक्रिय है।

अधिकांश असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण कोश हैं। कल्याण कोष से मजदूरों को एडवांस दिया जा रहा है। उपभोक्ता फेडरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम आदि जनता को आवश्यक वस्तुऐं प्रदान कर रहे हैं। सीटू सुनिश्चित कर रहा है कि आवश्यक वस्तुऐं जरूरतमन्दों तक पहुँच रही हैं।

युवा सीटू कार्यकर्ता स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करके विभिन्न कार्यों के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। निजी नर्सिंग होम और कई शैक्षणिक संस्थानों को लोगों के क्वैरेन्टाईन में ठहरने की व्यवस्था के लिए लिया गया है। सीटू इन जगहों पर स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहा है। सीटू का स्कूल काउंसलर्स संगठन उन लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं जो क्वैरेन्टाईन और अलगाव में हैं।

आशा कार्यकर्ता वे हैं जो बाहर से आने वाले लोगों जिन्हें बुखार आदि है के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आशाओं का सीटू संगठन और अन्य एनएचएम कार्यकर्ता ऐसे कामों में पूरी तरह से लगे हुए हैं।

सीटू लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन स्वतंत्र रूप से आवश्यक वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर रही है। वे बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को किट भी वितरित कर रहे हैं। सीटू का मिड डे मील वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से सामुदायिक रसोई के काम में लगा हुआ है, जिसे पूरे राज्य में खोला गया है। सीटू यूनियनों के माध्यम से वृक्षारोपण मजदूरों को आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और आपूर्ति की जा रही है। त्रिवेंद्रम में प्रवासी मजदूरों को खाद्य पदार्थों का वितरण सीटू कामरेडों द्वारा किया गया था।

सीटू की केरल राज्य इकाई कोविद–19 लॉकडाउन के दौरान राहत कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अच्छा फण्ड इकट्ठा कर रही है।

महाराष्ट्र

मुंबई और महाराष्ट्र में संकटग्रस्त जनता के लिए ~~सीटू ने व्हाट्स~~एप समूह का गठन किया। पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले सैकड़ों टेलीफोन कॉल

का जबाव दिया गया; जानकारी एकत्र की गई थी; और उन क्षेत्रों की कमेटियों को भेजा गया जहाँ प्रवासी मजदूर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में, फँसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए राहत कार्य सीटू, डीवाईएफआई और एडवा द्वारा किया जा रहा है, जो आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।

मुंबई जिला कमेटी, विशेष रूप से अंधेरी, भान्डुप में 10,000 से अधिक लोगों को मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों को पका हुआ भोजन और किराना मुहैया कराया गया। पुणे और नागपुर में, मानक प्रवासी श्रमिकों और अन्य प्रभावित लोगों को भोजन और किराना प्रदान किया गया था। शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अमरावती, गोन्दिया, चन्द्रपुर और नागपुर में सैकड़ों फँसे हुए प्रवासी मजदूरों को सहायता दी गई। नासिक में 1,100 मजदूरों, जिन्हें महीनों से वेतन नहीं दिया गया था, पीड़ित मजदूरों और घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों, स्वरोजगार करने वालों को गेहूं, चावल, तेल, दाल, चीनी इत्यादि सहित किराने की किट दी गई थी। सीटू वर्धा शहर में 160 मानक प्रवासी मजदूरों को भोजन दे रहा है।

सीटू ने धन इकट्ठा किया और राहत कार्यों के लिए यूनियनों के फण्ड से भी खर्च किया। जरूरतमन्दों को भोजन प्रदान करने के लिए, हम दूसरों के साथ विशेष रूप से गुरुद्वारों, गैर सरकारी संगठनों और कुछ मुस्लिम संगठन के साथ बातचीत कर रहे हैं।

पहले दिन सीटू की अंधेरी इकाई ने पश्चिम मुंबई में जोगेश्वरी पश्चिम, विले पार्ले, खार रोड, बांद्रा, शास्त्रीनगर नाका, माहिम में 250 से अधिक प्रवासी निर्माण श्रमिकों को भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। अगले दिन 350 से अधिक श्रमिकों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इन खाद्य पैकेटों के लिए, सड़क विक्रेताओं ने मुफ्त सब्जियां प्रदान की और मुंबई पश्चिम निगम ने वितरण के लिए वाहन प्रदान किए।

सीटू ने आशा, गन्ना काटने, निर्माण, औद्योगिक मजदूरों के मुद्दों को उठाया; रिक्शा, और टैक्सी मजदूरों के बारे में सम्बन्धित मंत्रियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ और प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए मशीनरी को चलाने में सक्षम हैं। यह काम भी जारी है।

राज्य के 38 चीनी कारखानों के 1.31 लाख गन्ना काटने वाले और परिवहन कर्मचारी महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में फँसे हुए थे। राशन की कमी, पीने के पानी और अन्य जरूरतों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सीटू से संबद्ध गन्ना काटने और परिवहन कर्मचारी यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से, मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री और अन्य सत्तासीनों के साथ अपना मुद्दा उठाया, और लगातार अनुसरण किया। अंततः, 17 अप्रैल को, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आदेष जारी किया गया था कि कारखानों को इन सभी मजदूरों की चिकित्सा जाँच करने के लिए कहा जाए; मजदूरों और उन गांवों की सूची तैयार करें, जिनसे वे सम्बन्धित हैं; और उन्हें एवं उनके परिवारों को उनके मूल स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें। सीटू ने इस आदेश को तत्काल लागू करने की माँग की थी।

ओडिशा

एकदम शुरुआत में ही, 300 किराने के सामान के पैक इसके प्रत्येक में 5 किलो गेहूँ का आटा, 500 ग्राम दालें, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 250 मिलीलीटर खाद्य तेल और साबुन आदि को सीटू जिला कमेटी और कटक शहरी समन्वय कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से कटक में प्रवासी निर्माण मजदूरों के बीच वितरित किया गया।

पंजाब

लॉकडाउन लगाने के तुरंत बाद, सीटू राज्य कमेटी ने जरूरतमंद मजदूरों की मदद करने के लिए पहल की और अपनी सभी यूनियनों को कॉलोनियों और कार्य स्थालों पर प्रवासी मजदूरों से संपर्क करने का आह्वान किया। सीटू की आँगनवाड़ी, आशा और गांव चौकीदारों की यूनियनें जरूरतमंदों की विभिन्न तरीकों से मदद करने के लिए हर जगह पहल कर रही हैं। ईंट भट्ठा, निर्माण, मनरेगा में सीटू यूनियनों के कार्यकर्ता भी सक्रिय रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में सीटू और उसकी यूनियनों ने 20,000 से अधिक मजदूरों, मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों और दलितों से संपर्क किया है, और उन्हें तैयारशुदा भोजन और किराने का सामान प्रदान करने सहित अन्य विभिन्न तरीकों से मदद की है।

सीटू का राहत कार्य पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, लेकिन लुधियाना, रायकोट, नांगल, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, बरनाला, बठिंडा, रोपड़ और संगरूर में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। रायकोट, लुधियाना, नांगल, बरनाला, रोपड़, पठानकोट और भटिंडा में सभी राहत शिविर राशन और पके हुए भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं, खासकर जरूरतमन्द मजदूरों और दलितों को। अन्य जिलों में सीटू कार्यकर्ता लोगों से उनके आवास पर या कार्य स्थलों पर सम्पर्क कर रहे हैं। कई केंद्रों पर, घर–घर खाद्य आपूर्ति भी की जा रही है।

सीटू के अलावा, कई अन्य संगठन, सिख जनता और किसान, जो प्रवासी मजदूरों और जरूरतमन्दों की मदद करने के लिए भी काम कर रहे हैं। सभी गुरुद्वारे प्रवासी मजदूरों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं, जिनमें से कुछ चौबीसों घंटे काम करते हैं। पंजाब के लोग उन्हें मदद और सम्मान दोनों दे रहे हैं।

सभी श्रेणियों के मजदूरों को मार्च के महीने के वेतन का पूरा भुगतान करवा पाने में भी सीटू सफल रहा है। कोई भी शिकायत मिलने पर, हमने तुरंत हस्तक्षेप किया। राज्य के प्रमुख श्रम सचिव ने ठेका, आउटसोर्स और पीस रेट मजदूरों सहित सभी मजदूरों को लॉकडाउन की अवधि के लिए पूरा वेतन सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य में सीटू की पहल पर, लंबे समय से लम्बित मनरेगा मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खातों में जमा की गई है। सीटू की आँगनवाड़ी मुलाजम यूनियन ने अगले हफ्ते में 1 लाख मास्क तैयार करने और जरूरतमन्द लोगों को वितरित करने का फैसला किया। (11/04/2020)

तमिलनाडु

सीटू राज्य केंद्र ने लॉकडाउन की शुरुआत से कोरोना राहत कार्य शुरू किया और जिला कमेटियों को प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और अपने स्वयं के संसाधनों और सरकार की मदद से जरूरतमन्दों की मदद करने की सलाह दी; और पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखण्ड, त्रिपुरा आदि से आने वाली बहुत सारी फोन कॉल्स पर तुरन्त कार्रवाहियां की।

तमिलनाडु और पुडुचेरी सीटू की सभी जिला कमेटियों और इसकी यूनियनों ने 26 मार्च को ही राहत कार्य शुरू कर दिया था, कुछ गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों के साथ ही डीवाईएफआई और एडवा की सक्रिय भागीदारी के साथ, हजारों फँसे हुए प्रवासी कामगारों को भोजन, किराने का सामान और अन्य प्रकार की मदद प्रदान की। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और ओडिषा से वेल्लोर, चेन्नई आदि में आऐ मजदूरों को; और पुडुचेरी में बीमारों के साथ इलाज के लिए आने वाले मजदूरों को भोजन और खाना पकाने की सामग्री प्रदान की गयी; स्थानीय क्षेत्रों में और स्थानीय आदिवासी मजदूरों सहित जरूरतमंदों को भोजन प्रदान किया गया; और फँसे हुए छात्रों की मदद की; कुछ अवसरों पर परिवहन और आवास की व्यवस्था की गई।

तेलंगाना

कोविद–19 सहत (22 मार्च – 15 अप्रैल)

राज्य के सभी 34 जिलों में, सीटू ने 150 केंद्रों में 5,800 परिवारों को 214 क्विंटल चावल वितरित किया; 5,800 परिवारों को 182.25 क्विंटल सब्जियाँ; 250 केंद्रों पर 7,198 परिवारों को किराने का सामान; 120 केंद्रों पर 25,108 सुरक्षा मास्क; 60 केंद्रों में 9,330 व्यक्तियों को तैयार भोजन; 80 केंद्रों पर 5,058 व्यक्तियों को साबुन और सैनिटाइजर; 5 केंद्रों पर 248 व्यक्तियों को दस्ताने; 2 केंद्रों पर प्रत्येक 200 मजदूरों को 500 रुपये नकद; और 7 व्यक्तियों ने कोविद–19 पीड़ितों की मदद के लिए रक्तदान किया।

सरकार द्वारा आयोजित कोविद संरक्षण कार्यक्रम में 28 सीटू कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवकों के रूप में भाग लिया। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड़क, सांगारेड्डी और नलगोण्डा में औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर राहत कार्यों में शामिल हुए; बीमा,

सिंगरेनी कोलियरीज, आँगनवाड़ी, बिजली, पावरलूम, मेडीकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव्स, सड़क परिवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, निजी परिवहन, हमाली, पैक्स आदि के कर्मचारियों और मजदूरों की यूनियनें शामिल हुईं।

कोविद–19 राहत गतिविधियों का सारांष (18 मई, 2020)

- राज्य भर में राहत कार्य के लिए स्थापित सहायता केंद्रों की कुल संख्या 1,360 थी;
- लगभग 1.82 लाख मजदूरों को राहत प्रदान की गई;
- प्रदान की गई राहत सामग्री का कुल मौद्रिक मूल्य लगभग रु० 1.14 करोड़ था;
- वितरित मुखौटे एवं सैनिटाइजर की संख्या 91,000 से अधिक थी, जिसकी कीमत रु० 8.55 लाख से अधिक थी;
- 47 व्यक्तियों ने कोविद पीड़ितों की मदद के लिए 9 रक्तदान षिविरों में रक्तदान किया;
- राहत कार्य में षामिल कुल कैडरों की संख्या 1,919 थी।

उत्तर प्रदेश

राहत कार्य (25 मार्च–19 अप्रैल)

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मार्च के वेतन का भुगतान 7 अप्रैल तक करने के बारे में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए अधिसूचना जारी की। फिर भी, लखनऊ और गाजियाबाद में रेलवे ठेकेदार कम्पनियों ने समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया और सीटू द्वारा अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया।

लखनऊ में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी प्रवासी मजदूरों, घरेलू श्रमिकों, रेलवे सफाई कर्मचारियों को राशन प्रदान किया गया। लखनऊ में 260 निर्माण श्रमिकों को एलएण्डटी और ग्रीन गैस जैसी बड़ी कम्पनियों सहित कम्पनियों पर दबाव डालकर राशन/तैयार भोजन प्रदान किया गया। प्रत्येक किट में 5 किलो चावल, गेहूँ का आटा 3 किलो, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, मसाला और साबुन के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री के सहयोग से 230 राशन किट वितरित किए गए। और भी अधिक वितरित किए जा रहे हैं। निर्माण श्रमिकों की सीटू यूनियन ने 248 व्यक्तियों के 88 परिवारों को राशन किट के साथ 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रदान की।

निर्माण और कोल्ड स्टोरेज और स्ट्रीट वेंडरों में प्रवासी मजदूरों, जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कश्मीर से हैं को, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, बरेली, सोनभद्र, बलिया, इटवा, गोरखपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर और गोंडा जिलों में राहत प्रदान की गयी।

श्रम विभाग के माध्यम से रामपुर, सीतापुर और बाराबंकी जिलों में प्लाईवुड मजदूरों को राहत प्रदान की गई।

पश्चिम बंगाल

अचानक लॉकडाउन लागू होने के बाद, सीटू राज्य कमेटी का प्राथमिक ध्यान पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी मजदूरों को राहत देने की व्यवस्था करना था जो देश के विभिन्न हिस्सों में फँसे हुए थे। पहले से ही ऐसे एक लाख से अधिक मजदूरों के साथ संपर्क किया गया और सम्बन्धित सीटू राज्य कमेटियों और सरकारी नोडल अधिकारियों से जोड़ा गया। सभी जिला कमेटियों ने जिलों के प्रवासी मजदूरों के बारे में विवरणों को राज्य केंद्र को भेज दिया और राज्य में उनके परिवारों से बहुत उपयोगी सामग्री के साथ संपर्क किया गया।

जिला कमेटियाँ दूसरे राज्यों और अन्य जिलों के प्रवासी मजदूरों के परिवारों तक भी पहुँची हैं और उन्हें दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए राहत प्रदान की है। बिहार, झारखण्ड और ओडिशा के लगभग 300 प्रवासी मजदूर, जो अपने कार्यस्थल से हुगली जिले में राज्य की सीमा तक अपने–अपने मूल स्थानों के रास्ते पर चले, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए और परेषान किए गए। सीटू जिला कमेटी के तत्काल हस्तक्षेप के बाद, उन्हें छोड़ दिया गया और दो शिविरों में रखा गया। कोलकाता जिला कमेटी ने ज्यादातर बिहार, झारखण्ड और ओडिशा के 500 हेड लोडरों के लिए राहत की व्यवस्था की; जिनमें से 400 को बाद में उनके मूल स्थानों पर भेज दिया गया।

सम्बन्धित जिला कमेटियों द्वारा अन्य राज्यों और जिलों के प्रवासी मजदूरों के बीच राहत कार्य आयोजित किए जा रहे हैं; उनकी सहायता करने और तैयारशुदा भोजन, किराने का सामान, सब्जियां प्रदान करने के लिए षिविरों का आयोजन

किया गया है। राहत, पकाया हुआ भोजन, खाद्यान्न, सब्जियों, साबुन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था नियमित रूप से, सभी जिला कमेटियों और उनकी यूनियनों द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से अन्य बिरादराना संगठनों के साथ मिलकर उन मजदूरों एंवं उनके परिवारों के लिए की गयी जो लॉकडाउन से बुी तरह से प्रभावित हुए। अधिकांश जिलों में और चाय बागानों में मजदूरों के आवासीय क्षेत्रों में मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। कुछ जिलों ने मजदूरों के बहुत ज्यादा जरूरतमन्द परिवारों, जो राज्य के भीतर या बाहर अपने घर से दूर हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की है। जिला कमेटियों द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया।

रेलवे हॉकर्स यूनियन अपने सदस्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है, जो लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हैं। अन्य ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों की मदद से उनके लिए खाद्यान्न, सब्जियों की व्यवस्था की जा रही है। डब्ल्यूबीएमएसआरयू ने अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में अपने सदस्यों द्वारा रक्तदान की व्यवस्था की है; इसकी 16 जिला इकाइयों ने विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, खाद्यान्न, सब्जियां और तैयारशुदा भोजन वितरित किए हैं। चिकित्सा कर्मचारियों के उपयोग के लिए अच्छी संख्या में दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर भी अस्पतालों को दान किए गए थे। दुर्गापुर में, सीटू की यूनियनों ने संयुक्त रूप से एचएसईयू/डीएसपी यूनियन कार्यालय से 460 पैकेट राहत सामग्री वितरित की; 20 अप्रैल को यूसीडब्ल्यू यूनियन के कार्यालय में लगभग 700 व्यक्तियों को राहत प्रदान की गयी; और 3 मई को एचएसईयू एएसपी यूनियन कार्यालय से राहत वितरित की गई।

राज्य में सैकड़ों स्वयंसेवी समूह, जिनमें से प्रत्येक में 2/3 युवा सीटू सदस्य और डीवाईएफआई और एसएफआई कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

जिला कमेटियों ने आर्थिक रूप से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक सहित परिवहन कर्मचारी; स्व–नियोजित मजदूर, सड़क विक्रेता आदि के वेतन और राशन की माँग सरकार और नियोक्ताओं के समक्ष उठायी विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए जो जूट, ईंट भट्ठा, निर्माण, चमड़ा उद्योग, में काम करते हैं और नगरपालिका के ठेका श्रमिक जो साफ–सफाई का काम करते हैं।

चाय, जूट, एमएसएमई, चावल मिलों, घिसाई मिलों, कोल्ड स्टोरेज, ईंट भट्ठा और निर्माण के मजदूरों को वेतन के भुगतान का मुद्दा उनके सम्बन्धित नियोक्ताओं के साथ उठाया गया है। कुछ मामलों में इसका निवारण किया जाना बाकी है।

हाल ही में शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार से पहले ही माँग उठाई जा चुकी है, जिसमें वर्तमान में आईसीडीएस वर्कर्स और चिकित्सा एवं अर्ध–चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा बार–बार वायदे करने के बावजूद, आईसीडीएस और आशा कार्यकर्ताओं को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, साबुन और अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान नहीं की गई। इसके बावजूद, आईसीडीएस और आशा वर्कर्स उच्च जोखिम उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

उन नियोक्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन का पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन अवधि के लिए बड़ी संख्या में राइस मिल मजदूरों को वेतन से वंचित किया गया। नतीजतन, सीटू हावड़ा जिला कमेटी की मिसाल पर जिला श्रम प्राधिकरण द्वारा 14 जूट मिल मालिकों में से 9 को लॉकडाउन अवधि के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया गया है।

निर्माण श्रमिकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा जा रहा है; सरकार द्वारा घोषित रूपए 1,000 की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन भेजने के लिए उन्हें संगठित किया। राज्य भर में उनके बीच खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है।

कोयला मजदूरों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

एटक, इन्टक, एचएमएस और सीटू के 4 मान्यता प्राप्त कोयला मजदूर फेडरेशनों ने एक संयुक्त बैठक में 10 जून को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया जिसमें धरना और प्रदर्शन किया गया, काले बिल्ले पहने, पिट मीटिंगें आयोजित की गईं और 11 जून 2020 को कोयले के निजी वाणिज्यिक खनन और सीएमपीडीआईएल को सीआईएल से अलग करने के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया गया; और कोयला मजदूरों और कोविद–19 से सम्बन्धित जनता की अन्य माँगों को उठाया गया।

उद्योग एवं क्षेत्र

बिजली

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 के खिलाफ

बिजली मजदूरों और इंजीनियरों द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपने एकजुट मंच के तहत देष के क्षेत्र विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के विरुद्ध 1 जून, 2020 को काले बैज पहनकर, काले बैनर उठाते हुए और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के महानगरों एवं 680 जिलों में 9,895 केंद्रों पर बिजली उपयोगिताओं के सभी कार्य स्थलों पर प्रदर्शनों का सफल आयोजन किया। राज्य की राजधानियों में बिजली कम्पनियों के मुख्यालय उनके आंचलिक, जिला, परिमण्डल, मंडल और उप–विभागीय कार्यालय; बिजली संयंत्र, उप–स्टेशन, अनुभाग कार्यालय, उपभोक्ता–देखभाल केंद्र, कॉल सेंटर आदि के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया।

फेडरेशनों और यूनियनों के नेताओं ने प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए, सभी बिजली उपयोगिताओं के वितरण के निजीकरण के लिए बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 पेश करने के लिए भारत सरकार की कड़ी आलोचना की जबकि पूरा देश कोविद–19 लॉकडाउन के प्रभाव में है और बिजली कर्मचारी और इंजीनियर शहरों और अस्पतालों में निरंतर बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सबसे आगे हैं।

प्रस्तावित विधेयक ने वितरण व्यवसाय में 3–स्तरीय निजीकरण को निर्धारित किया है, अंतिम स्तर पर फ्रेंचाइजीयों को किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव जोखिम–रहित बिजली वितरण का अनौपचारिककरण है जिसमें उच्च स्तर के कौशल और कुशाग्रता की आवश्यकता होती है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य 25 करोड़ परिवारों और किसानों के खेतों के लिए जनरेटिंग स्टेशन बस से बिजली नेटवर्क की परिसम्पत्तियों को घनिष्ट मित्र पूँजीपतियों को हस्तान्तरित करने के लिए है, जो सरकारी खजाने की कीमत पर सात दशकों के दौरान विकसित किए गये हैं। विधेयक, यदि लागू किया जाता है, तो देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, बिहार और कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने संविधान की सकल व्यवस्था में बिजली को समवर्ती सूची से केंद्रीय सूची में परिवर्तित करने की नीयत के चलते इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया है।

(द्वाराः प्रषांत एन. चौधुरी)

टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पेज

(12 मई, 2020)

''यह अभी या कभी नहींः राज्य दबंग सुधार चला रहे हैं,
हमें यह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, इसे पकड़ लें।''

''1991 के बाद से सुधारों, के सबसे साहसिक और सबसे दबंग पहलों में से एक के रुप में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने बड़ी संख्या में श्रम कानूनों पर रोक लगाकर और उद्योगों को लचीलापन देकर, उग्र श्रम बाजार सुधारों की शुरुआत की है। कोविद–19 ने लालफीताशाही, इंस्पेक्टर राज और उन सभी को खत्म करने में उत्प्रेरक का काम किया है जो हमारे श्रम कानूनों में निहित थे। मध्य प्रदेश सांसद व्यापार में आसन की प्रक्रिया सुधारों की एक श्रृंखला भी शुरू की है – पंजीकरण के लिए एकल फॉर्म; वार्षिकी नवीनीकरण के बिना किसी परियोजना के जीवन के लिए वैध लाइसेंस; दुकानें सुबह 6 बजे से आधी रात तक खुल सकती हैं; 61 रजिस्टरों और 13 विवरणियों के स्थान पर उद्योगों के लिए स्व–प्रमाणन के साथ सिर्फ एक विवरणी और श्रम विभाग द्वारा वस्तुतः कोई निरीक्षण नहीं।''

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month
Licensed to Post without prepayment under License No. U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/06/2020)

15 साल की कटौती के बाद पूर्ण पेंशन बहाल की गयी; अतिरिक्त कटौती की 15 साल बाद वापसी

पिछले 5 वर्शों के दौरान, सीटू लगातार सरकार और ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ पेंशनरों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दों को उठाता रहा है।

इनमें से एक कम्यूटेशन सुविधा थी जिसका इस्तेमाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को समझाने के लिए किया था कि ईपीएस–95 एक लाभकारी योजना थी। लेकिन 'पूँजी की वापसी' के साथ यह सुविधा सरकार द्वारा बिना सीबीटी सदस्यों को बताए एकतरफा तरीके से वापस ले ली गई।

तब पेंशनभोगियों का मुद्दा था जिन्हें कम्यूटेशन का लाभ मिला था लेकिन कटौती अंतहीन रूप से जारी थी। जब सीटू प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को उठाया, तो जवाब दिया गया कि नियमों में कटौती को रोकने पर कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया था। अन्याय यह था कि पेंशनरों को 1,000 रुपये की 'न्यूनतम पेंशन' से कम मिल रही थी, क्योंकि कटौती जारी रहने के कारण उन्हें कम से कम दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ा। सीबीटी की बैठक में कई बार चर्चा और फैसलों के बाद भी, सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही थी। अंत में, फरवरी 2020 में, सरकार ने घोषणा की कि कटौती 15 साल के लिए पुनर्भुगतान के बाद रोक दी जाएगी। (सरकार का वह आदेश वर्किंग क्लास के मार्च अंक में प्रकाशित हुआ था)।

लेकिन, 15 साल से अधिक समय से की गई कटौती के संबंध में आदेश में कोई स्पष्टता नहीं थी। मार्च, 2020 के पहले सप्ताह के दौरान सीबीटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त कटौती की गई राशि का भुगतान किया जाएगा।

हालाँकि, लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर के कार्यान्वयन में देरी हो रही थी। इस मुद्दे को उठाया गया और ईपीएफओ ने आदेश को लागू कर दिया है और बकाया राशि का भुगतान 1 जून 2020 को देय पेंशन के साथ भी किया जा रहा है।

अब उन सभी के लिए, जिनकी कटौती को 15 साल पूरे हो गए हैं, उनके लिए पूर्ण पेंशन बहाल है।

– एकेपी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

ईपीएफओ पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी

प्रविष्टि किया गयाः पीआईबी द्वारा 01 जून 2020 सांय 3.42

ईपीएफओ द्वारा पेंशन के रु० 868 करोड़ के साथ–साथ पेंशन के रुपांतरित मूल्य (कम्यूटिड वेल्यू) की पुनः बहाली के मद के रु० 105 करोड़ जारी किये गये हैं।

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (ईपीएफओ) की अनुशंसा पर भारत सरकार ने मजदूरों की लम्बे समय से लम्बित माँग को स्वीकार करके 15 साल के बाद पेंशन के रुपांतरित मूल्य (कम्यूटिड वेल्यू) को पुनः बहाल कर दिया है। रुपांतरित मूल्य (कम्यूटिड वेल्यू) को पुनः बहाल करने का पहले कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनर को कम्यूटेशन के कारण पूरे जीवन घटी हुई पेशन ही लेते रहना था। ईपीएफ–95 के तहत पेंशनरों हितलाभ के यह एक ऐतिहासिक कदम है।

ईपीएफओ अपने 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से अधिक पेंशनरों को सेवा दे रहा है। ईपीएफओ अधिकारीगण और कर्मचारियों ने कोविद–19 लॉकडाउन के दौरान तमाम दुश्वारियों का जमकर मुकाबला किया है और पेंशनरों के बैंक खातों में समय पर भेजने के लिए मई 2020 की पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया है।

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**